प्रकाशन का 41 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 41 अंक – 50 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 19 – 26 दिसम्बर 2016 मूल्य पांच रूपए

क्या भाजपा अपने आरोप पत्र पर कारवाई के लिये शपथ पत्र के साथ लोकायुक्त या धारा 156(3) के तहत अदालत का रूख करेगी?

शिमला/बलदेव शर्मा

वीरभद्र सरकार के चार वर्ष पूरे होन पर जहां सरकार ने इस अवसर पर धर्मशाला में अपनी उपलब्धियों का ब्योरा प्रदेश की जनता के सामने रखा है वहीं शिमला में भाजपा ने इन चार वर्षों में हुए भ्रष्टाचार को एक आरोप पत्र के माध्यम से राज्यपाल के संज्ञान में लाकर इस पर जांच की मांग की है। सरकार का मुख्य दायित्व होता है जनता के विकास के लिये काम करना, उनके जानमाल की रक्षा करना और कानून एवम व्यवस्था बनाये रखना। लोकतन्त्रिक व्यवस्था में सरकार का यह सर्वैधानिक दायित्व होता है। अपना दायित्व निभाकर सरकार लोगों पर कोई मेहरबानी नही करती इसलिये सरकार द्वारा किये गये कार्यो को सरकार की उपलब्धि कहना सही नही है। इसी तरह विपक्ष का दायित्व रहता है कि सरकार के हर काम पर बारीक नजर रखे और किसी भी काम में कोई भ्रष्टाचार न होने दे। जहां भी भ्रष्टाचार सामने आये उस पर कड़ी कारवाई सुनिश्चित करवाये किसी भी सरकार ओर उसके विपक्ष का आकलन इन्ही मानकों पर होता है।

सरकार की उपलब्धियां कितनी सही मायनों में जमीन पर है और कितनी केवल कागजों पर ही हैं इसकी प्रत्यक्ष जानकारी जनता को अपने आस - पास हुए विकास से मिल जायेगी। जनता को सरकार की योजनाओं का प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष लाभ कितना मिला है इसकी भी उसे सीधी जानकारी मिल जाती है क्योंकि वही इनकी मुक्त भोगी होती है। लेकिन इस सबको अमलीशक्ल देते हुए किस स्तर पर कितना घपला - घोटाला हुआ है इसकी उसे कोई सीधी जानकारी नहीं रहती है। इसके लिये वह मीडिया और विपक्ष पर निर्भर करता है क्योंकि इन्ही दो से यह अपेक्षा रहती है कि वह सरकार के कामकाज पर नज़र रखते हुए उसे भ्रष्टाचार करने से रोके और उसकी जानकारी जनता के सामने रखे।

प्रदेश भाजपा ने वीरभद्र सरकार के खिलाफ आरोप पत्र राज्यपाल को सौंप कर अपनी जिम्मेदारी का पक्ष निभाया है। सरकार में फैले भ्रष्टाचार को जनता की अदालत में लाकर रख दिया है। लेकिन क्या भाजपा की बतौर विपक्ष जिम्मेदारी इसी से पूरी हो जाती है। सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल में भाजपा का यह तीसरा आरोप पत्र है। इस कार्यकाल से पहले भी जब भी भाजपा विपक्ष में रही है वह सरकार के खिलाफ आरोप पत्र राज्यपाल को सौंपती रही है। ठीक इसी तरह कांग्रेस ने भी हर बार विपक्ष में आने पर सरकार के खिलाफ आरोप पत्र सौंपने की रस्म पूरी ईमानदारी से अदा की है। लेकिन दोनों ही पार्टियों ने सत्ता में आने पर अपने ही सौंपे हुए आरोप पत्रों पर कभी कोई कारवाई नही की है। इन राजनीतिक दलों के इस आचरण से जनता का विश्वास टूटा है। जनता की नजर में भ्रष्टाचार के इस हमाम में यह सब बराबर के नगे हैं। यह आरोप पत्र भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की भूमिका तो अदा करते हैं और सरकार बदलने का कारण बनते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी अपने स्थान पर यथास्थिति बने रहते हैं। बल्कि भ्रष्टाचार पर जन चर्चा को रोकने के लिये आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि के दसवे दायर करने तक आ जाते हैं।

इस परिदृश्य में क्या भाजपा के इस आरोप पत्र का परिणाम भी यही रहेगा यह सवाल अहम है। हर आरोप पत्र राज्यपाल को सौंपा जाता है। बल्कि कांग्रेस ने तो 2012 में महामहिम राष्ट्रपति को आरोप पत्र सौंपा था। लेकिन ऐसे आरोप पत्र सौंपने का कोई परिणाम नही आता है। क्योंकि राजभवन के से यह आरोप पत्र सरकार के सचिवालय को भेज दिये जाते हैं और आरोप पत्र सौंपने वाले स्वामोश होकर अपनी राजनीति में व्यस्त हो जाते हैं। राजभवन के पास ऐसे मामलों की जांच के लिये अपना कोई स्वतन्त्र तन्त्र नहीं होता और सरकार तथा उसकी विजिलैन्स इन पर कोई कारवाई करती नहीं है। जबकि विजिलैन्स इन आरोप पत्रों को सोर्स रिपोर्ट बनाकर इन पर कारवाई करने के लिये अधिकृत है। जो आरोप पत्र भाजपा ने सौंपा है उसमें बहुत संगीन आरोप है। संभवत: इसी संगीनता को सूंघते हुए मुख्यमन्त्री ने इन आरोपों पर मानहानि का दावा दायर करने की धमकी भी दी है। मुख्यमन्त्री की धमकी के परिदृश्य में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि भाजपा की आरोप पत्र कमेटी इस आरोप पत्र के साथ अपना एक शपथ पत्र लगाकर इसे प्रदेश के लोकायुक्त को सौंपे। लोकायुक्त के अतिरिक्त दूसरा विकल्प इन आरोपों पर धारा 156(3) के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाकर इन पर सीधे एफआईआर दर्ज करवाने का रास्ता अपनाये। यदि ऐसा नही होता है तो स्पष्ट हो जायेगा कि भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ कतई गंभीर नही है बल्कि इसके माध्यम से केवल राजनीति करना चाहती है। ?

शांडिल और कर्ण सिंह को छोड़ वीरभद्र का पूरा मन्त्रीमण्डल गंभीर आरोपों के साये में

- कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 40 नेताओं पर आरोप
- मुख्यमन्त्री की पत्नी ,बेटा प्रधान निजि सविच और सुरक्षा अधिकारी भी आरोपों में
- क्या वीरभद्र आरोप पत्र केमटी के खिलाफ मानहानि का दावा दायर करेंगे

शिमला/बलदेव शर्मा

भाजपा ने जब वीरभद्र सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाने की घोषणा की थी तभी से मुख्यमन्त्री बराबर यह कहते आये हैं कि वह झूठे बिना प्रमाणों के आरोप लगाने वालों के खिलाफ कारवाई करेंगे, मानहानि का दावा दायर करेंगे। अब भाजपा ने अपनी घोषणा को पूरा करते हुए सरकार के खिलाफ राज्यपाल को आरोप पत्र सौंप दिया है और इस पर जांच की मांग की है। इस आरोप पत्र में वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, बेटे विक्रमादित्य सिंह, प्रधान निजि सविच सुभाष आहलूवालिया और मुख्य मन्त्री के सुरक्षा अधिकारी पदम ठाकुर के खिलाफ गंभीर आरोप है। मुख्यमन्त्री परिवार के अतिरिक्त सिंचाई एवम जन स्वास्थ्य मन्त्री विद्या स्टोक्स, स्वास्थ्य एवम राजस्व मन्त्री कौल सिंह, परिवहन मन्त्री जी एस बाली, ऊर्जा एवम कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया, वन मन्त्री ठाकुर सिंह भरमौरी, उद्योग मन्त्री मुकेश अग्निहोत्री, शहरी विकास एवम आवास मंत्री सुधीर शर्मा, आबकारी एवम कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी, पंचायती राज एवम ग्रामीण विकास मन्त्री अनिल शर्मा और विधानसभा उपाध्यक्ष जगत सिंह नेगी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं।

मन्त्रीयों के अतिरिक्त, कांग्रेस अध्यक्ष सुखबिन्दर सिंह सुक्खु, सीपीएस विनय कुमार, नन्द लाल, सोहन लाल, इन्द्रदत्त लखनपाल, नीरज भारती और रोहित ठाकुर पर भी आरोप हैं। इनके अतिरिक्त हर्ष महाजन, जगदीश सिपाहिया, कुलदीप कुमार, कुलदीप सिह पठानिया, राम लाल ठाकुर, ख्वाजा खलीलुल्ला, केवल सिंह पठानिया, सुभाष मंगलेट, राजेन्द्र राणा, चन्द्र कुमार, राकेश कालिया, बम्बर ठाकुर और चेतराम सब आरोपों के साये में है। लेबर वैल्फेरय बोर्ड, प्रदेश के तीनों विश्वविद्यालय, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर और प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा विधान सभा सचिवालय तक आरोपों में है। आरोपों के साथ पुष्टि करने वाले प्रमाण भी साथ सौंपे गये हैं। आरोपों की इतनी लम्बी सूची से पूरे तन्त्र की कार्य शैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्योकि जब विभाग के मन्त्री पर आरोप लगता है तब उस विभाग से जुड़ा शीर्ष प्रशासन भी स्वत: ही आरोपों के घेरे में आ जाता है। इन आरोपों को देखने से लगता है प्रदेश को सैंकडो करोड़ के राजस्व की हानि पहुंचाई गयी है और जब यह हानि हुई

शेष पृष्ठ 7 पर.....

राज्यपाल ने किया जल संरक्षण साक्षरता अभियान का शुभारम्भ

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते जल संकट से निपटने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में 'जलपुरूष' के नाम से विख्यात रेमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता राजेन्द्र सिंह का सहयोग व सेवाएं ली जाएंगी। इस अभियान का उद्देश्य पानी के तेज बहाव को कम कर प्राकृतिक जल स्रोतों को पुर्नजीवित करना है।

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन में राजेन्द्र सिंह की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश जल संरक्षण साक्षरता अभियान का शुभारम्भ किया। राजेन्द्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जो जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि '' सर्वप्रथम, जल साक्षरता अभियान से विश्वविद्यालयों को जोड़ा जाएगा। वैज्ञानिक, शिक्षक और विद्यार्थियों को अभियान से जोड़कर इसे एक व्यापक रूप दिया जाएगा। बाद में, ग्राम स्तर पर लोगों को इससे जोड़ा जाएगा।''

उन्होंने चिंता जताई कि प्रदेश में किसानों को खेतों के लिए पानी नहीं मिल रहा है और शहरों में पेयजल की किल्लत है। नदियों वाला प्रदेश जो अन्य राज्यों को जल उपलब्ध करवाता है जल संकट से जूझ रहा है। इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है, कैसे जल स्तर बढ़ेगा, इसके लिए राजेन्द्र सिंह के अनुभवों का फायदा लिया जाएगा, जिन्होंने राजस्थान जैसे प्रदेश को हराभरा करने में सहयोग दिया है।

इस मौके पर, राजेन्द्र सिंह ने राज्यपाल द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का हिस्सा बनने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल को पानीदार राज्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन 'बाढ़ और सूखा' की स्थिति पैदा हो गई है। प्रकृति ने हिमाचल को सबकुछ दिया है, लेकिन जल स्रोतों को जितना हम रिचार्ज कर रहे हैं उससे कहीं गुना डिस्चार्ज कर रहे हैं। प्रदेश में पानी का बहाव तेज है, जिसे कम करना होगा तभी जल स्त्रोत रिचार्ज होंगे।

राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व संवर्द्धन के प्रति राज्यपाल के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे अभियानों की राज्य को जरूरत है। अगर प्रदेश में यह अभियान सुचारू रूप से चलता है तो पानी की कमी की समस्या से निपटा जा सकता है। उन्होंने हैरानी जताई कि हिमाचल जैसे राज्य में अब पानी का संकट है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां 1000 एमएम से कम बारिश होती हो। जनसंख्या घनत्व को इस पानी की मात्रा से जोड़कर देखें तो हिमाचल में पानी की उपलब्धता दूसरे राज्यों से 10 गुना ज्यादा है।

उन्होंने कहा, ''लोगों में जल की समझ पैदा करने की आवश्यकता है। पानी रूकेगा तभी यह राज्य समृद्ध व सुखी बना रहेगा। राजनेताओं को भी समझना होगा कि पानी व किसानी बह जाएगी तो प्रदेश विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएगा।''

उन्होंने कहा कि देश में यह स्थिति है कि जितने भी वॉटर लैवल हैं 72 प्रतिशत ओवरड्रॉफ्ट हैं। हिमाचल के जल संकट को देखते हुए इस अभियान की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश में युवाओं और ग्रामीणों को प्रशिक्षित करने पर सहमति जताई। इसके लिए उन्होंने दो स्तर पर कार्य करने का सुझाव दिया। एक, बहते पानी को रोकना और दूसरा, फसल चक्र को जल से जोड़ना। इसके अलावा, कम पानी के उपयोग से बेहतर करने पर विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नदियों को जोड़ना महंगा कार्य है। इसके विपरीत नदियों को समाज से जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा ही कार्य उन्होंने राजस्थान में किया, जिसका यह परिणाम हुआ कि लोग वापस गांव की ओर मुड़े।

राजेंद्र सिंह को वर्ष 2002 में रमन मैगसेसे पुरस्कार और 2015 में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें अहिंसा पुरस्कार भी मिला है। वह वर्ष 2004 के बाद से राजस्थान के बाहर देश के कई राज्यों में जल संरक्षण और जल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर सक्रिय हैं। 'अहिंसा पुरस्कार' पाने वाले वह दुनिया के चौथे व्यक्ति हैं। इससे पहले यह पुरस्कार नेल्सन मंडेला, दलाई लामा और प्रिंस चार्ल्स को मिल चुका है। वर्ष 2008 में गार्डियन ने उन्हें 50 ऐसे लोगों की सूची में शामिल किया था जो पृथ्वी को बचा सकते हैं।

उन्हें इस सम्मान से ग्रामीण भारत में जल संरक्षा में सुधार के लिए अथक प्रयासों के लिए दिया गया। जरूरतमंद लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए राजेंद्र सिंह ने साहस व दृढ़ता का परिचय दिया।

उन्होंने बारिश के पानी को धरती के भीतर पहुंचाने की प्राचीन भारतीय पद्धति को ही आधुनिक तरीके से अपनाया है। इसमें छोटे-छोटे पोखरों का निर्माण किया जाता है जो बारिश के पानी से लबालब भर जाते हैं और फिर इस पानी को धरती धीरे-धीरे सोख लेती है। पेशे से आयुर्वेद के चिकित्सक सिंह ने राजस्थान में 1980 के दशक में पानी को लेकर काम करना शुरु किया था। शुरुआत में इस मुहिम में वह अकेले थे लेकिन फिर गांव के लोग जुड़ने लगे और तरुण भारत संघ बना। जल संचय पर काम बढ़ता गया। इसके बाद गांव-गांव में जोहड़ बनने लगे और बंजर धरती पर हरी फसलें लहलहाने लगी। सिंह ने पानी की समस्या को सुलझाने के लिए सामाजिक क्षमता का विकास किया और इसके लिए परंपरागत तौर तरीकों को आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक से जोड़ा।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item /percentage rate tenders on form 6&8 for the following works are invited by the Executive Engineer, Kumarsain Division HP PWDs. Kumarsain from the experienced contractors enlisted with HPPWD for B&R works so as to reach in this office on or **27.01.2017 up to 3:00 P.M.** and will be opened on same day at **3:30 PM** in the presence of intending contractors or their authorized representatives who may to be present.

The application for issued of tender from shall be received on **24.01.2017 up to 5:00 P.M.** The tender form shall be issued against cash payment (non-refundable) on **27.01.2017 from 10:00AM to 1:00PM** the earnests money must accompany with each application in thee shape of Time deposit receipt / FDR and the and the receipt of any post office or any recognized bank in HP duly pledged in the name of undersigned. The contractors who did not deposit the earnest money their tender shall summarily be rejected. The undersigned have the right to reject the tender without assigning any reason.

1. Name of Work: Special Repair to building of O.T. and Labor at CHC Kumarsain (SH:- C/O R/Wall at Rd. 0/0 to 0/0025) Estimated Cost 4,92,389/- Earnest Money 9850/- Time Allowed Two Months.

2. Name of Work: Special Repair to Govt. Sr sec. School at Malendi Distt Shimla H.P. (SH:- Repair of Front Portion Wall of R.H.S. of Building) Estimated Cost 4,30,097/- Earnest Money 8700/- Time Allowed Six Months.

3. Name of Work : C/O Link road to village Dhalli Km 00 to 0/600 (SH:- C/O PCCs R/wall at Rd 0/060 to 0/074 & 0/105 to 0/115) Estimated Cost 2,81,076/- Earnest Money 5700/- Time Allowed one Months.

4. Name of Work : Improvement of Black Spot on Link raod to village Nahal km 0/0 to 1/00(SH:- C/O PCC B/ wall at Rd. 0/490 to 0/503.50 & PCC R/ wall at Rd. 0/960 to 0/969). Estimated Cost 1,95,406/- Earnest Money 4000/- Time Allowed One Month.

Terms and conditions:

1. The contractors shall produce their latest registration /renewal of their registration /latest sale Tax clearance Certificate /Tin No PAN Number / E.P.F Registration number along with their application.
2. The single /conditional tender will be rejected.
3. The offer shall remain valid up to 90 days.

Adv. No.-3630/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

युवाओं की ऊर्जा का सृजनात्मक गतिविधियों में सदुपयोग पर बल:राज्यपाल

शिमला/भारती

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र के लिए स्कूल स्तर पर अलग से पाठयक्रम होना चाहिए, ताकि पर्वतीय राज्यों के विद्यार्थी स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सके तथा उनमें अपनी समृद्ध संस्कृति, रीति-रिवाजों एवं परम्पराओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्रति भावना विकसित हो सके।

राज्यपाल शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका 'चाणक्य वार्ता' द्वारा आयोजित एक समारोह के अवसर पर बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय स्तर पर बनाई गई नीतियां एवं कार्यक्रम समूचे देश के लिए होते हैं, लेकिन हिमालयी क्षेत्रों की समस्याएं भिन्न हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विचार एवं सोच भी भिन्न हैं तथा विकास की संभावना पर कार्य करना अनिवार्य है।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि जहां तक पर्वतीय क्षेत्रों में चुनौतियों का प्रश्न है, यहां भौतिक एवं वैचारिक पहलू विद्यमान हैं तथा हमें क्षेत्र में पर्यटन विकास और आयुर्वेद के विस्तार की दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में जल स्त्रोतों के संरक्षण तथा पानी की बचत करने पर बल दिया।

राज्यपाल ने कहा कि युवाओं की उर्जा का सदुपयोग सकारात्मक एवं सृजनात्मक गतिविधियों में किया जाना चाहिए और युवाओं को स्वंय को ज्ञान प्राप्ति, सामाजिक कार्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं के सक्रिय सहयोग एवं योगदान के बिना समाज से बुराईयों को समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह चिंता की बात है कि युवा अपना जीवन नशाखोरी एवं मादक द्रव्यों के सेवन में बर्बाद कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कौशलैस आर्थिकी को अपनाना समय की मांग है और इस अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित बनाकर इसे सफल बनाना हमारी जिम्मेवारी है।

राज्यपाल ने इस अवसर पर चाणक्य वार्ता के विशेष अंक का विमोचन भी किया।

उन्होंने इस अवसर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में कृष्ण भानू तथा विजय पुरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभिन्न विभूतियों को भी सम्मानित किया।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के कुलपति डा. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोगों को अनेक व्यावहारिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिसमें बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है। राज्य में पर्यटन विकास पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि दूरदर्शिता, नवोन्मेषण तथा प्रतिबद्धता के माध्यम से इस दिशा में हमें नई संभावनाओं का सृजन करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्र के राज्यों के लिए समान मंच उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, क्योंकि इन राज्यों की समस्याएं एवं चुनौतियां एक समान होने के कारण इन पर परिचर्चा कर सौहार्दपूर्ण समाधान किया जा सकता है।

प्रख्यात लेखक एवं स्तम्भकार लक्ष्मी नारायण भल्ला ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।

चाणक्य वार्ता के प्रकाशक एवं सम्पादक डा. अमित जैन ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा पत्रिका द्वारा समस-समय पर उजागर किए गए विभिन्न विषयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समूचे विश्व में पत्रिका के बड़ी संख्या में पाठक हैं और पत्रिका का ऑनलाईन अंक भी उपलब्ध है।

चाणक्य वार्ता के उत्तरी भारत के प्रभारी विशाल शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को क्रिसमस की बधाई दी

शिमला/रीना

राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेशवासियों विशेषकर ईसाई समुदाय को क्रिसमस की बधाई दी है।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि क्रिसमस का यह त्यौहार प्रभु यीशु मसीह द्वारा विश्व बंधुत्व के संदेश का स्मरण दिलाता है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार हमें आपसी सदभावना से जीवन जीने की प्रेरणा देता है।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई कि क्रिसमस के पवित्र अवसर पर समाज में एकता और भाईचारे के अलावा प्रेम, आनंद और करूणा की भावना प्रबल होगी। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने हर व्यक्ति को जीवनभर सहिष्णुता, समानता और प्रेम का संदेश दिया, जिसे हमें अपने दैनिक जीवन में अपनाने की आवश्यकता है।

राहुल गांधी ने विमुद्रीकरण पर लोगों की पीड़ा के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराया

शिमला/भारती

आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक वर्ष ही शेष है और हिमाचल कांग्रेस ने सत्ता में अपने चार वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर एक वृहद अभियान रणनीति का शंखनाद कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही स्मार्ट सिटी धर्मशाला, जिसने 'महारैली' की मेजवानी की गई, में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का शानदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए राहुल गांधी ने वर्ष 2017 में कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाने पर बल दिया।

पार्टी ने गत चार वर्षों के दौरान विकासात्मक कदमों को उजागर करने व इन्हें जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस रैली के माध्यम से अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा उनकी विमुद्रीकरण नीति पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि इसका मकसद 50 बड़ी कम्पनियां/ परिवारों के ऋण माफ करवाकर उन्हें लाभ पहुंचाना है, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण लिए हैं और अदायगी नहीं की है।

उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण तथा कैशलेस आर्थिकी के नाम पर काले धन पर अंकुश लगाने के लिए अचानक की गई सर्जिकल स्ट्राइक का उद्देश्य देश के 99 प्रतिशत ईमानदार लोगों की जेब से सफेद धन छीनना तथा इसे लम्बे समय के लिए बैंकों में जमा करवाना है ताकि 50 परिवारों की ऋण राशि जो

कुल आबादी का एक प्रतिशत बनता है, को राहत पहुंचाना है।

राहुल गांधी ने बैंकों तथा एटीएम से नई करंसी निकालने की सीमा तय करने के पीछे उद्देश्य है कि आम आदमी का पैसा जितने लम्बे समय तक बैंकों में रहेगा, उतना ही फायदा उन 50 परिवारों तथा बड़े औद्योगिक घरानों को मिलेगा, जो बहुत पहले से इस कदम से परिचित थे। प्रतिदिन पैसा निकालने पर अनेकों नई शर्तें लगाकर लोगों को असुविधा पहुंचाकर ईमानदार एवं आम आदमी का पैसा अगले सात से आठ महीनों तक बैंकों में रखने का लक्ष्य है।

एनडीए के चुनाव पूर्व वायदों पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को स्विस बैंक खातों से पैसा वापिस लाने तथा प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 लाख रुपये की राशि जमा करवाने के नाम पर देश के लोगों के साथ धोखा किया गया। उन्होंने कहा कि स्विस सरकार ने उन बैंक धारकों की सूची उपलब्ध करवाई है, जिनके वहां पर खाते हैं और इसे एक केन्द्रीय मंत्री द्वारा संसद में स्वीकार भी किया गया था।

राहुल गांधी ने कहा कि 'मेरी समझ में यह नहीं आता कि नरेन्द्र मोदी स्विस बैंक खाताधारकों की सूची का अनावरण क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री से जबाव मांगते हुए कहा कि लोगों के प्रति उत्तरदायी होने के नाते उन्हें विमुद्रीकरण के उद्देश्य को उजागर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जितना चाहे उतनी खिल्ली उड़ा सकते हैं, जिसका उन पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन उन्हें देश के लोगों को स्विस बैंक खाताधारकों के नाम छुपाने का कारण उजागर करना होगा।

उन्होंने कहा कि एक प्रतिशत लोगों के पास काला धन है और वह भी नकदी में नहीं है। उन्होंने कहा कि 6 प्रतिशत काला धन नकदी में है, 94 प्रतिशत का निवेश रियल एस्टेट, सोना तथा विदेशी बैंक खातों में है। उन्होंने कहा कि मोदी न उन 6 प्रतिशत लोगों, जिन्होंने सोने, रियल एस्टेट में काले धन का निवेश किया है, को निशाना न बनाकर 94 प्रतिशत लोगों को निशाना बनाया है।

वर्तमान केन्द्रीय सरकार को 'सूट बूट की सरकार' करार देते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने कहा कि 60 प्रतिशत पैसा उन एक प्रतिशत अमीर लोगों के हाथों में दिया है, जो प्रधानमंत्री के करीबी हैं, जबकि कृषक, छोटे व्यापारी, गृहणियां तथा महिलाएं, जिनकी छोटी-छोटी बचतें हैं, को असहाय बना दिया है। यह देश के किसानों तथा बागवानों विशेषकर हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जिसकी आर्थिकी कृषि एवं बागवानी पर निर्भर है, के लिए हीरोशीमा तथा नागासाकी से भी बदतर प्रहार है। उन्होंने कहा कि यह देश तथा मध्यम वर्ग की आर्थिकी पर तीव्र प्रहार है।

हिमाचल प्रदेश को देव भूमि बताते हुए राहुल गांधी ने राज्य सरकार को चार वर्ष का सफल कार्यकाल पूर्ण करने पर बधाई दी।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस 'महारैली' को सम्बोधित करते हुए कहा कि वह कांग्रेस पार्टी में विगत 54 वर्षों से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा उन्होंने राज्य के लोगों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया है।

उन्होंने कहा कि यह रैली गत चार वर्षों में राज्य में हुए विकास तथा उन्नति का एक रिपोर्ट कार्ड है। उन्होंने कहा कि देश तथा राज्य में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने राज्य के विकास का श्रेय सत्तासीन रही कांग्रेस की सरकारों को दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को शिक्षा तथा समावेशी विकास में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम राज्य का स्थान प्रदान किया गया है, जोकि छोटे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में कार्यरत आऊटसोर्स कर्मियों के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण से आर्थिक उन्नति प्रभावित हुई है और देश के लोगों को असुविधा हो रही है। उन्होंने विमुद्रीकरण के निर्णय को बिना सोचा समझा निर्णय बताया।

मुख्यमंत्री ने विभाजन की नीति तथा लोगों को धर्म, क्षेत्र तथा जाति के नाम पर बांटने के लिए भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि इस प्रकार के लोग राष्ट्र की एकता के लिए खतरा है और हमें इनकी पहचान होनी चाहिए।

वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के भाजपा के दावे को एक दूर का सपना करार दिया। उन्होंने लोगों को सावधान रहने तथा भाजपा के दुष्प्रचार से प्रभावित न होकर भारत के लिए एक जुटता से खड़े रहने का आहवान किया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नगरोटा बगवां के मस्सल में 50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजीव गांधी इंजीनियरिंग कालेज के प्रथम चरण का लोकार्पण किया। परियोजना की कुल लागत 150 करोड़ रुपये होगी। भवन का निर्माण डेढ़ वर्ष से भी कम समय में किया गया। उन्होंने मस्सल में पूर्व प्रधानमंत्री स्व.श्री राजीव गांधी की 12.5 फुट कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया।

परिवहन एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री जी.एस.बाली ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया तथा राज्य के लोगों को इंजीनियरिंग कालेज समर्पित करने के लिए बहुमूल्य समय निकालने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

हिमाचल में सुधरी सड़कों की दशा एक स्वतंत्र एजेंसी का सर्वे

शिमला/भारती

राज्य की सड़कों की स्थिति में विशेषकर पिछले तीन वर्षों के दौरान आशातीत सुधार हुआ है। सड़कों की स्थिति की यह रिपोर्ट विश्व बैंक सड़क परियोजनाओं के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत एक स्वतंत्र एजेंसी 'टी.एन. एस.इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड' द्वारा राज्य में किए गए रोड़ यूजर्स सेटिस्फेक्सन सर्वे में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर 40 प्रतिशत लोगों का भरोसा है कि प्रदेश की सड़कें आवागमन के लिए बेहतर एवं सन्तोषजनक हैं।

हिमाचल प्रदेश में किए गए सर्वेक्षण पर आयोजित एक बैठक के दौरान विस्तृत प्रस्तुति दी गई। बैठक में हि.प्र. लोक निर्माण विभाग तथा हि.प्र. सड़क अधोसंरचना विकास निगम के वरिष्ठ अभियन्ताओं ने भाग लिया। यह सर्वेक्षण हि.प्र. सड़क अधोसंरचना विकास निगम के एक प्रस्ताव पर विभिन्न तीन चरणों क्रमशः वर्ष 2007 में बेस लाईन सर्वेक्षण, वर्ष 2011-12 में मिडल लाईन सर्वेक्षण तथा वर्ष 2016 में एंड लाईन सर्वेक्षण किया गया।

सर्वेक्षण भौगोलिक आधार, डाटा एकत्रीकरण विधियों, सड़क प्रयोग करने वाले लोगों के साक्षात्कार, हितधारकों से सलाह, विभिन्न नमूने एकत्र करना, समाचार पत्रों की अपील इत्यादि विभिन्न मापदण्डों के आधार पर लाहौल-स्पिति तथा किन्नौर को छोड़कर राज्य के 10 जिलों में किया गया। सर्वेक्षण का उद्देश्य सड़क प्रयोग करने वालों की सन्तुष्टि सूचक सहित लोक निर्माण विभाग के प्रदर्शन बारे लोगों की सोच तथा परियोजना सड़कों पर गति का पता लगाना है।

अन्तिम सर्वेक्षण के दौरान राज्य के कुल 7200 लोगों के साक्षात्कार किए गए, जिनमें 4032 मुख्य उपयोगकर्ता तथा 3168 अन्य प्रयोगकर्ता थे। सड़कों के चौराहों पर भीड़-भाड़ की समस्या पर 46 प्रतिशत लोग संतुष्ट दिखाई दिए, जबकि केवल 11 प्रतिशत लोग सड़कों की चौड़ाई की पर्याप्तता को लेकर कुछ हद तक ही सन्तुष्ट दिखे। केवल 25 प्रतिशत लोगों ने अधिकांश समय सड़क निर्माण गतिविधियों के लिए निर्माण सामग्री देखी है।

सर्वेक्षण में पाया गया कि हिमाचल की सड़कों पर औसतन गति 40.1 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो पहाड़ी राज्यों के लिए काफी सन्तोषजनक है। सड़कों को पक्का करने की गुणावत्ता में बेस लाईन के मुकाबले एंड लाईन सर्वेक्षण में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। लगभग 45 प्रतिशत यात्री इन सड़कों पर सुरक्षित आवाजाही महसूस करते हैं, जबकि 41 प्रतिशत मुख्य उपयोगकर्ता सुरक्षा उपायों जैसे रेलिंग, बैंड, पैराफिट इत्यादि को लेकर सन्तुष्ट हैं। वर्तमान सर्वेक्षण में पाया गया है कि लगभग 66 प्रतिशत नियमित उपयोगकर्ता तथा 55 प्रतिशत अन्य यात्री हिमाचल की सड़कों पर पुलिस पोस्ट अथवा वाहनों की गशत की उपलब्धता एवं सुगमता को लेकर सन्तुष्ट हैं।

राज्य की सड़क सुविधाओं पर रिपोर्ट में कहा गया है कि आधे से अधिक सड़क उपयोगकर्ताओं ने सार्वजनिक शौचालयों, स्नानागार, रेस्तरां तथा पेयजल जैसी सुविधाओं की उपलब्धता को संतोषजनक बताया। आपातकाल में चिकित्सा सहायता के लिए 108 की बेहतर सुविधा उपलब्ध है। सड़कों के किनारे पौधरोपण को लेकर लगभग 33 प्रतिशत लोग काफी सन्तुष्ट हैं।

धर्मशाला कार्ड स्वाईप मशीन सुविधा प्रदान करने वाली राज्य की पहली सब्जी मण्डी

शिमला/रीना

धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुना गया है और यह हिमाचल प्रदेश की स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है। क्षेत्र के किसानों तथा उत्पादकों की सुविधा के लिए स्वाईप मशीन सुविधा उपलब्ध करवा कर कैशलैस लेन-देन की दिशा मे किए गए प्रयास से शहर की गरिमा में एक नया अध्याय जुड़ा है।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला के तपोवन से इस ऑनलाईन सुविधा की शुरूआत की।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि नोटबन्दी के उपरान्त क्षेत्र के किसानों तथा बागवानों को बिना किसी परेशानी के शीघ्र लेन-देन में यह स्वाईप मशीन मददगार होगी तथा उन्हें एक बड़ी वांछित राहत प्रदान करेगी। उन्होंने स्वाईप मशीन की स्थापना के लिए आईसीआईसीआई बैंक के प्रयासों की सराहना की।

कृषि एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं व ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया, शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा सहित विभाग तथा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक एच.एस.बावेजा ने राज्य के किसानों तथा बागवानों को प्रदान की जा रही अन्य ऑनलाईन सुविधाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा के बागवान एवं उत्पादक अब अपने उत्पादों की आपूर्ति एवं खरीद के लिए ऑनलाईन सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

बुद्धिमान व्यक्ति भी तब घोर परेशानी से घिर जाता है, जब वह किसी मूर्ख व्यक्ति को यह समझाने की कोशिश करता है कि सही क्या है और गलत क्या है.....चाणक्य

सम्पादकीय

पुराने नोट जमा करवाने की सुविधा से किसे लाभ मिल रहा है

आठ नवम्बर को रात आठ बजे प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी ने यह घोषणा की कि आज रात बारह बजे के बाद पांच सौ और एक हजार के नोट लीगल टैण्डर नहीं रहेंगे। यह केवल कागज के टुकड़े रह जायेंगे। इन नोटों के स्थान पर पांच सौ और दो हजार के नये नोट जारी किये गये है। प्रधान मन्त्री ने इस फैंसले को कालाधन और उसके धारकों के खिलाफ बड़ा कदम बताते हुए आम को भरोसा दिलाया था कि इस फैंसले से जो व्यवहारिक पेरशानीयां सामने आयेंगी वह पचास दिन में समाप्त हो जायेंगी। मोदी ने देश से पचास दिन का बिना शर्त सहयोग मांगा था और देश ने यह सहयोग उन्हें दिया है। प्रधान मन्त्री ने यह भी दावा किया गया था कि इससे मंहगाई कम होगी। आठ नवम्बर को यह घोषित नही किया था कि पुराने नोट कितने समय तक कहां कहां उपयोग में रहेंगे। इसके लिये समय -समय पर नियमों में संशोधन होता रहा और पुराने नोटों के उपयोग की सहूलियत मिलती रही। इसी में कालेधन के धारकों को भी यह सुवधा दी गयी कि वह भी अपना धन घोषित कर सकते हैं उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं की जायेगी उनसे कुछ पुछा नहीं जायेगा। केवल उनके लिये टैक्स आदि की मात्रा बढ़ा दी गयी। इस सब में जो फैसला नहीं बदला वह यही कि पुराने नोटों का चलन बाजार के लिये बन्द हो गया। अब पुराने नोट केवल रिजर्व बैंक की धरोहर रह जायेंगे। पुराने नोटों को जमा करवाने की समय सीमा में जो बढौत्तरी होती रही है उसके लिये यह तर्क आता रहा है कि रिजर्व बैंक ने पांच सौ और हजार के जितने नोट प्रिंट किये थे वह सारे वापिस नही आये हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब पुराने नोटों की वैधता ही आठ नवम्बर से समाप्त हो गयी है तब रिजर्व बैंक इन्हे अपने पास लेकर क्या करेगा ।

नोटबंदी कालाधन समाप्त करने के लिये लायी गयी। कालाधन वह धन होता है जिस पर आयकर नही दिया जाता है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही है कि आयकर छिपाने का प्रयास ही कालेधन का जनक बन जाता है। अन्यथा हर खरीद -फरोख्त पर हम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 56 करों की अदायगी करते है। यह कर उन पर भी बराबर लागू रहते हैं जिनकी आय आयकर के दायरे में नही आ पाती है। इस समय भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक तीन प्रतिशत लोग आयकर अदा कर रहें हैं। 92 प्रतिशत वह लोग है जिनकी आय ही दस हजार या इससे कम है। इनके पास आयकर से छिपाने के लिये है ही कुछ नहीं । इस तरह केवल पांच प्रतिशत लोग बच जाते हैं जो आयकर की चोरी करके कालाधन अर्जित कर रहें हैं। इन पांच प्रतिशत कालाधन धारकों के खिलाफ कारवाई के लिये नोटबंदी लायी गई। यहां यह भी विचारणीय है कि करंसी के मुद्रण, नियमन और संचालन की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की है। रिजर्व बैंक एक स्वायत: संस्था है। उसका हर फैसला उसके निदेशक मण्डल में पूरी तरह गहन विचार के साथ लिया जाता है और तब उस फैंसले से सरकार को सूचित किया जाता है। करंसी के मुद्रण में यह सुनिश्चित किया जाता है कि उतनी ही करंसी प्रिंट की जायेगी जितना ही आपके पास गोल्ड का धातू है इसलिये विश्व भर में गोल्ड ही इसका मानक बन चुका है। इसका अर्थ है कि गोल्ड के सुरक्षित भण्डार के अनुपात में ही करंसी का मुद्रण होता है।

अब जब नोटबंदी की गयी तब यह आंकडे सामने आये की पांच सौ और हजार के नोट कुल करंसी के 86% है। अब जब 86 % करंसी का चलन वैध नही रहा तब यह पुराना किसी के घर तिजोरी में बन्द रहे या रिजर्व बैंक के पास रहे उसकी कीमत तो एक कागज के टुकडे से अधिक नही है। फिर 86% करंसी का अनुपातित गोल्ड रिजर्व तो सुरक्षित पडा ही है। इसमें नुकसान तो केवल छपाई और कागज की कीमत का ही है। कालाधन और बेनामी संपत्ति की घोषणा की समय सीमा 30 सितम्बर को समाप्त हो गयी थी । अब नोटबंदी में आम आदमी को जो 92% के आंकडे में आता है उसको पुराने नोट बदलने के लिये काफी समय मिल गया है। अब इस समय इन कालाधन धारकों को पुराने नोट जमा करवाने की सुविधा क्यों दी जा रही है। इस सुविधा से कालाधन धारकों को तो लाभ ही मिल रहा है इससे उनका नुकसान तो नहीं हो रहा है। क्या यह सुविधा देने से कालेधन के खिलाफ कारवाई के सारे दावों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब जब छापों में नये नोट फिर से इन कालाधन धारकों के पास मिल रहें हैं तो उससे भी यही प्रमाणित होता है कि इन लोगों पर इस फैसले का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इसमें यदि पुराने नोटों को बदलने के लिये एक तय सीमा के बाद छूट न दी जाती और बिजली, पानी टैलिफोन आदि सारी सेवाओं के बिलों के भुगतान में यह सुविधा देने की बजाये इन बिलों का भुगतान ही पाचस दिन किश्तों में लिया जाता तो उसके परिणाम कुछ और ही होते। अब पुराने नोटों को जमा करवाने के समय को बढ़ाने से नोटबंदी का पूरा फैसला सवालों के घेरे में खड़ा हो जाता है।

हिमाचल:आपकी फिल्म का अगला पड़ाव

हिमालय की पर्वतीय मालाओं में बसा हिमाचल प्रदेश अपने बर्फ से ढके पहाड़ों, शीत जलवायु, हरी-भरी घाटियों और आतिथ्य सत्कार प्रिय लोगों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की अपार सौंदर्यता विश्व के विभिन्न भागों के फिल्म निर्माताओं को प्रदेश में शूटिंग के लिए आकर्षित करती है। इसका श्रेय यहां के सुन्दर पर्वतीय शहरों, आश्रयो, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण व स्कीईंग जैसी अन्य गतिविधियों को जाता है। हिमाचल में शिमला, मण्डी, धर्मशाला, रोहतांग, नग्गर आदि कई मनमोहक स्थल है।

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न फिल्मों की शूटिंग की गई है जैसे अनबे वा, बद्रीनाथ, बैग बैंग, ब्लैक, देव डी, अन्थीरन, हाईवे, जब वी मेट, लायर्स डाईस, लुटेरा, लव इन शिमला, राज: द मिस्ट्री कन्टीन्यूस, रानी पदमीनी, रोजा, शिप ऑफ थिसियस, यंग मलंग।

फिल्म निर्माता राज्य के सौंदय से बेहद प्रभावित हैं तथा उन्हें आश्चर्य होता है कि भारतीय लोग मनाली जैसे स्थलों को छोड़कर छुट्टियां मनाने विदेश क्यों जाते हैं।

राज्य सरकार भी प्रदेश में निर्माताओं की शूटिंग में मद्द के माध्यम से फिल्म पर्यटन को प्रोत्साहित करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। निर्माताओं की सहायता के लिए एक सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली स्थापित की गई है ताकि शूटिंग की अनुमति, भवनों से सम्बन्धि अनुमति, कानूनी व्यवस्था सम्बन्धित मामलों व उपकरणों की आवाजाही की अनुमति शीघ्र प्राप्त की जा सके। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को राज्य में फिल्मों की शूटिंग से सम्बन्धित अनुमतियों को जारी करने के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

पर्यटन विभाग को भी विभिन्न अनुमतियों के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन व सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नोडल अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है। राज्य के सहयोग से विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए परिचय यात्राओं की सुविधा भी प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार फिल्म पर्यटन को प्रोत्साहित करने के नजरिये से फिल्म स्टूडियों की स्थापना की सभावनाओं को भी जांच रही है।

स्वस्थ मनोरंजन के स्रोत के अतिरिक्त, सिनेमा आय व रोजगार सृजनता की अपार संभावनाएं भी प्रदान करता है। इसके मद्देनजर प्रदेश में सिनेमाघरों की स्थापना व प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा एकल सिनेमाघरों को मल्टीपलेक्सिस में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रियाओं व अनुमतियों को सरल किया गया है। प्रशासन द्वारा शूटिंग को नुक्सान से बचाने के लिए बीमा की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

देश की समृद्ध फिल्मी धरोहर के संरक्षण व भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें उपलब्ध करवाने हेतु राष्ट्रीय फिल्म धरोहर अभियान आरम्भ किया गया है। इसका उद्देश्य फीचर फिल्मों व लघु फिल्मों का डिजिटलकरण व संरक्षण करना है। राज्य सरकार ऐतिहासिक फुटेज, राजसी व राजनीतिक परिवारों द्वारा संरक्षित वृत्तचित्र तथा इस प्रकार के अन्य फिल्मांकित पल जो हमारी फिल्मी धरोहर में बढ़ौतरी करे, को अर्जित व संग्रहित करने की सुविधा प्रदान करेगी। राज्य भविष्य में सभी उपलब्ध फिल्मी सामग्री की खोज कर, इन्हें राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के कोष में संरक्षण व संग्रहण के लिए भी जमा करेगा।

राज्य सरकार शिमला, कुल्लू व धर्मशाला में स्थित हवाई पट्टिकाओं के विस्तार व स्तरोन्नयन पर भी विचार कर रही है ताकि यहां नियमित उड़ानों का संचालन हो सके। इससे फिल्मों के निर्माण में अतिरिक्त सुविधा प्राप्त होगी तथा राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर फिल्म निर्माता सरकारी आवास, परिवहन व उपकरण जैसी सुविधाओं का प्रयोग करना चाहते हैं तो उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं व छूट भी प्रदान की जा सकती है।

स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण के अलावा प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर जो विशिष्ट तौर पर हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई तथा बौद्ध जीवन शैली व परम्पराएं भी सभी का ध्यान आकर्षित करती हैं। राज्य में फिल्मी मीडिया को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म महोत्सवों व अन्य फिल्म सम्बन्धित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

राज्य को फिल्मी गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे फिल्म पर्यटन को प्रोत्साहन के अलावा राजस्व भी अर्जित होगा। इसके अतिरिक्त दूरगामी व अल्प-विकसित क्षेत्रों में रोजगार भी सृजित होगा। प्रदेश के युवा व प्रतिभाशाली स्नातक न केवल रोजगार के अवसरों बल्कि व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के भी अभिलाषी हैं। मण्डी जिला जहां प्रदेश का एकमात्र अभिनय संस्थान है, कलाकारों व अभिनयकारों की राजधानी कहलाता है।

टॉकिंग पेन के साथ तैयार होता भविष्य

'बिपिन एस. नाथ

चौरियालग्राम पंचायत में पलक्कयम कॉलोनी की 80 वर्षीय आदिवासी महिला मनियम्मा को अपने साक्षर बनने के प्रयास में किताबों और स्लेट के साथ जूझना पड़ता था। लेकिन एक 'टॉकिंग पेन' जो लिखे गए विवरण की आवाज पैदा करता है, से उनके और आसपास के कई लोगों के लिए काम आसान हो गया है। उन लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेन से अल्फाबेट्स और शब्दों के गाने सुनकर और सीखना आसान हो गया है। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक एनजीओ के जन शिक्षण संस्थान, मलाप्पुरम में मनियम्मा सहित क्षेत्र के 320 जनजातीय लोग पढ़ने के लिए जाते हैं और अक्षर व शिक्षा लेते हैं। वे यहां न सिर्फ अक्षर ज्ञान लेते हैं, बल्कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, बुरी आदतों, वित्तीय साक्षरता और कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़े सबक लेते हैं। यह टॉकिंग पेन है और साक्षरता तथा कौशल विकास कार्यक्रमों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), मलाप्पुरम को यूनेस्को कनफ्यूसियस प्राइज फॉर लिटरेसी, 2016 हासिल करने में खासी मदद मिली।

यूनेस्को द्वारा हर साल साक्षरता के लिए दिया जाने वाला कनफ्यूसियस प्राइज एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसके माध्यम से दुनिया में साक्षरता के क्षेत्र में किए जाने वाले उत्कृष्ट और प्रेरणादायी प्रयासों को सम्मान दिया जाता है। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने जेएसएस चेयरमैन और राज्यसभा एमपी अब्दुल वहाब व जेएसएस निदेशक वी उमरकोया के साथ पेरिस में बीते महीने एक कार्यक्रम के दौरान यूनेस्को की महानिदेशक इरीना बोकोवा के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण किया। यह चौथी बार है जब भारत के किसी संगठन को यह पुरस्कार मिला है। जेएसएस मलाप्पुरम को मिला यह पुरस्कार पहला नहीं है। संगठन को भारत सरकार के साक्षर भारत पुरस्कार (2014) जैसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

जनशिक्षण संस्थान में साक्षर होतीं जनजातीय महिलाएं

समान मौके देने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

भले ही केरल देश में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है, लेकिन इस सफलता का लाभ पारंपरिक तौर पर वंचित समूहों जैसे महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जनजातियों और प्रवासियों को नहीं मिल पाता है, जो अक्सर वित्तीय तौर पर कमजोर और सीमांत समुदाय होते हैं। जेएसएस जैसे एनजीओ इसी बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं। जेएसएस मलाप्पुरम नव-साक्षर को अनौपचारिक शिक्षा देता है और साक्षर बनने के इच्छुक वयस्कों को विभिन्न व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण देता है। संगठन लोगों को काम तलाशने या उद्यम शुरू करने में भी लाभार्थियों की मदद करता है। अभी तक 41000 महिलाओं सहित 53000 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

राज्य संसाधन केंद्र-केरल द्वारा विकसित टॉकिंग पेन जेएसएस के विद्या कार्यक्रम का हिस्सा है, जो जिले के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक व्यापक विकास परियोजना है। साक्षरता कार्यक्रमों के लिए मोबाइल कंप्यूटर लैब, एलसीडी प्रोजेक्टर्स सहित कई उन्नत प्रौद्योगिकी टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जनजातीय भाषा पनिया सहित हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में दिशा-निर्देशों की पेशकश की जाती है। किताबों को समुदायल की स्थानीय भाषा में लिखा गया है और ब्रेललिपि में भी उपलब्ध है। ब्रेली लिटरेसी सामग्री राज्य संसाधन केंद्र-केरल और केरल राज्य साक्षरता मिशन के सहयोग से जेएसएस द्वारा विकसित की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 341 नेत्रहीन लाभार्थियों को ब्रेललिपि साक्षरता के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए गए हैं।

उल्लासम से उन्नतिः टिकाऊ विकास के लिए सिलाई परियोजनाएं

जेएसएस मलाप्पुरम में ऐसे कई व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स हैं, जिनका उद्देश्य सीमांत लोगों के लिए टिकाऊ और भागीदारी पूर्ण विकास है। ऐसी ही परियोजनाओं में उल्लासम (खुश रहकर काम) शामिल है, यह ऐसा उपक्रम है जो पांच दिन तक काम की पेशकश करता है जिसमें एक दिन योग और ध्यान के लिए है। इसके लिए विधवाओं, 40 साल से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं और तलाकशुदा महिलाओं में से विशेष रूप से 250 लाभार्थियों का चयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कपड़े के बैग, बच्चों के बिस्तर, शॉपर्स, मच्छरदानी आदि बनाए जाते हैं। इस स्कीम के लाभार्थी इस कार्यक्रम के माध्यम से 5000-10000 रुपए महीने कमा रहे हैं। इस योजना के दौरान योग और ध्यान से तनाव कम करने में मदद मिलती है। 'स्पर्शम' विभिन्न सक्षम लाभार्थियों के विकास के लिए तैयार एक अन्य नवीन परियोजना है।

'इनसाइट' (अंतर्राष्ट्रीय) जेएसएस मलाप्पुरम द्वारा केरल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के सहयोग से शुरू किया गया विशेष कार्यक्रम है। ग्रामीण आबादी में सब्जियों के उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने के लिए जेएसएस ने 'दालम' परियोजना की शुरुआत की थी। जेएसएस परिवार के सदस्य अपने घरों के अहाते में सब्जियां पैदा करते हैं और सब्जियों के पौधों का वितरण करते हैं। जेएसएस ने ऐसे मरीजों की क्षमता बढ़ाने के लिए पेन एंड पैलिएटिव सोसाइटी के सहयोग से एक अन्य कार्यक्रम 'रिलीफ' (राहत) शुरू किया है, जो लकवा और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं।

जेएसएस ने आदिवासी युवाओं को मदद करने के लिए सरकारी एजेंसियों के सहयोग से विशेष कार्यक्रम कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट थ्रु एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग (सीआरडीईएसटी) डिजाइन किया। इस परियोजना के माध्यम से सौ युवाओं की पहचान की गई है। इस योजना के तहत युवाओं को विभिन्न विषयों में एक सप्ताह की आवासीय कोचिंग प्रदान की जाती है।

–पसूका–

सीएएमपीए

सुचारु वृक्षारोपण के लिए फंड मैनेजर

वन जीवन देते हैं, वन नदियों और जलजीवों के लिए प्रवाह का कार्य करते हैं और वन कार्बन उत्सर्जन को भी नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि वनरोपण के प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी फंड इकट्ठा करने हेतु एक संस्थागत ढांचा तैयार करें।

'निवेदिता खांडेकर

वनों को हमेशा से बेहद अहम समझा जाता रहा है क्योंकि वो परिस्थितिकी तंत्र को अनमोल सुविधाएं मुहैया कराते हैं। हरे भरे जंगल देश की संपन्नता और सुदृढता के परिचायक होते हैं लेकिन कई बार समाज की बेहतरी के लिए जरूरी योजनाओं को शुरू करने के लिए जंगल को काटना भी पड़ता है।

भारतीय वन्य संपदा रिपोर्ट 2015 के मुताबिक भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों का वन्य क्षेत्र बढ़कर 23% हो गया है। वनों के भी विभिन्न प्रकार हैं जैसे- संरक्षित वन, राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य, समुदायिक वन इत्यादि जो कि कार्बन सोखने का कार्य करते हैं। कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाले जंगलों को बढ़ावा देने पर भारत का खास ध्यान है जो कि परिस्थितिकी तंत्र में बदलाव से निपटने के लिए बने भारतीय एक्शन प्लान में भी है। देश को 33% वन आच्छादित करना भारत की दीर्घकालिक योजना है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बनाए गए एक्शन प्लान जो कि संयुक्त राष्ट्र को सौंपा गया है, उसमें भारत का अपने कार्बन अधिग्रहण को बढ़ाकर सालाना 100 मिलियन टन कार्बनडाइआक्साइड के बराबर करने का लक्ष्य है। ये दिसंबर 2015 में हुए पेरिस सम्मेलन में भी भारत मजबूती के साथ रख चुका है। 2 अक्टूबर 2016 को भारत इस बात की पुष्टि भी कर चुका है कि वो ऐतिहासिक पेरिस समझौते के साथ है जिसका लक्ष्य वैश्विक तापमान में हो रही बढ़ोतरी को रोकना है।

हालांकि, ये भी सच है कि हमारी जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए विकास भी बेहद जरूरी है। कई आधारभूत संरचनाओं के लिए जैसे- सड़कें, जल विद्युत योजना, खदान या फिर आवासीय योजनाओं के लिए कई बार सरकार को वन्य (संरक्षण) प्रावधान, 1980 के तहत वन्य भूमि में बदलाव कर दूसरे कार्यों के लिए देना पड़ता है। ऐसी भूमि इस शर्त पर दी जाती है कि संबंधित एजेंसी एक निश्चित राशि जमा करेगी, जिससे उस जगह पर पर्याप्त वृक्षारोपण किया जाए, जिससे भूमि परिवर्तन के नकारात्मक असर को खत्म किया जा सके।

ये राशि नवनिर्मित संस्था कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी (सीएएमपीए) के तहत जमा की जाती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एक अस्थायी संस्था ये राशि जमा करती थी। सीएएमपीए बिल 8 मई 2015 को लोकसभा में पेश किया गया था। लेकिन उसके तुरंत बाद 13 मई 2015 को इसे विभागों से जुड़ी स्थायी समितियों विज्ञान और तकनीक, वन और पर्यावरण के पास भेज दिया गया। 26 फरवरी 2016 को समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। समिति के सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार ने इस बिल में कुछ बदलाव किए और 3 मई 2016 को ये लोकसभा में पास हो गया। 28 जुलाई 2016 को राज्य सभा ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी।

इस बिल में शामिल है। (राष्ट्रीय वन्य प्रतिपूरक और सभी राज्यों के लिए अलग-अलग राज्य वन्य प्रतिपूरक फंड बनाना 2) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर वृक्षारोपण के लिए प्रतिपूरक फंड (अलग-अलग एजेंसियों से) प्रोजेक्ट के हिसाब से इकट्टा करना (3 वन्य प्रतिपूरक फंड के लिए इकट्टा हुई राशि को वृक्षारोपण में खर्च करना।, वन्य विस्तार का पुनर्प्रयास करना, वन्यजीव की सुरक्षा और आधारभूत ढांचे का विकास (4 फंड के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर फंड मैनेजमेंट प्राधिकरण की स्थापना करना)

प्राधिकरण का संस्थानिक विकासः

40 हजार करोड़ रुपए। हां, सही पढ़ा आपने 40 हजार करोड़। ये वो राशि है जिसे पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़ों में बताया गया है कि एक स्थायी संस्था बनाए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई अस्थाई संस्था ने इतने रुपए जमा कर लिए थे।

वन्य जमीन का व्यावसायिक प्रयोग करने वाली संस्था प्रतिपूरक के रूप में ये पैसे जमा करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक दूसरी जरूरतों के जंगल के एक बड़े इलाके को काटना पड़ा है। विज्ञान और पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक 1947 से 1980 के बीच तकरीबन 4 से 5 मिलियन हेक्टेयर वन को दूसरे कार्यों के लिए काटना पड़ा।

पारंपरिक बनाम नई तकनीकः

भारत का पारंपरिक जीवन-यापन पर्यावरण प्रेमी रहा है। लोग और समाज प्रकृति के साये में रहे और उसकी रक्षा करते रहे। खासतौर से जल और जंगल को विशेष अहमियत दी गई। समय के साथ लोग भले ही वनों से दूर होते गए लेकिन पौधों से लगाव बना रहा।

सदियों से वनों के सामाजिक प्रबंधन के खत्म होने के बाद ब्रिटिश लोगों ने इसके वैज्ञानिक प्रबंधन की शुरुआत की। एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि जो जंगल वहां के समाज के हिस्सा थे वो अब सरकार की संपत्ति हो गए। आजादी के काफी समय बाद 1988 में राष्ट्रीय वन्य नीति बनाई गई। इस नीति के तहत सरकार ने वनों के संरक्षण में वहां के सामाजिक योगदान को तरजीह दी। उसके बाद संयुक्त वन प्रबंधन (ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट) आया। 2016 में आखिरकार सीएएमपीए बिल पास हुआ।

विनाश के साथ विकासः

भारतीय विकास प्रक्रिया का लक्ष्य देश को बिना विनाश के विकास के पथ पर ले जाना है। उम्मीद है कि सीएएमपीए 'बिना विनाश के विकास' के भारतीय लक्ष्य को पाने में मदद करेगा। –पसूका–

पति के देहांत के बाद न पत्नी को पैंशन न ही बटे को रोजगार

शिमला/शैल। पति की पैंशन या करुणामूलक आधार पर बेटे को नौकरी मिल जाए इसके लिए मां बेटा मंत्रियों व नेताओं के दरबार पर हाजिरी फरमाने के लिए मजबूर हैं। मामला जिला कांगड़ा के गांव चूहाडपुर, डाकखाना चनौर तहसील इंदौरा के स्वर्गीय राम लाल के परिवार का है। राम लाल का 5 नवंबर 2015 को देहांत हो गया था। लेकिन तब से लेकर अब तक उनकी पत्नी को पैंशन नही मिली है और न ही बटे को रोजगार।

अपनी फरियाद लेकर स्वर्गीय राम लाल की पत्नि अपने बेटे गुलशन कुमार के साथ तपोवन में विधानसभा के दौरान मंत्री सुजानसिंह व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिलने पहंची। गुलशन कुमार ने बताया कि उनके पिता का देहांत 5 नवंबर 2015 को हो गया था। तब से लेकर उनकी मां को न तो कोई पैंशन मिली है और न ही घर के किसी सदस्य को नौकरी दी गई। नतीजतन परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है।

विभाग के निदेशक की ओर से नौकरी देने के लिए मंजूर सरकार को भेजा गया पत्र

गुलशन ने कहा कि वो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व कृषि मंत्री सुजानसिंह पठानिया से कई बार मिल चुके हैं। लेकिन दोनों की ओर से अब तक केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं न पैंशन लगी और नही करुणामूलक आधार पर नौकरी ही मिली। आज भी हम अपनी फरियाद लेकर आएं हैं। अपनी दास्तां सुनाते हुए गुलशन की मां की आंखों से आंसू छलक आएं। उन्होंने कहा की सरकार उनकी समस्या का हल नही कर पा रही है। गौरतलब हो कि स्व. रामलाल कृषि विभाग के मृदा संरक्षण विंग में नूरपूर में कार्यरत थे ।

अनुराग ठाकुर ने युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दायित्व पूनम महाजन को सौंपा

शिमला/शैल। भारतीय जनता युवा मोर्चा के वर्तमान अध्यक्ष एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में भाजपा केंद्रीय कार्यालय में अपने पद का दायित्व सांसद पूनम महाजन को हजारों कार्यकर्ताओं के उपस्थिति में सौंपा कुछ दिन पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने, अनुराग ठाकुर के साढ़े छह साल के सफल कार्यकाल के बाद

इस पद की जिम्मेदारी सांसद पूनम महाजन को सौंपी है।

इस मौके पर अपने भाषण में अनुराग ठाकुर ने अपने कार्यकाल में चलाये गए विविध सफल अभियानों का उल्लेख कर, एक उर्जावान युवा मोर्चा नए अध्यक्ष को सौपा है। अनुराग ठाकुर ने कहा की, सेवा संघर्ष और बलिदान, युवा मोर्चा की पहचान का नारा उन्होंने दिया और और इसी नारे को आगे रखकर युवा मोर्चा ने काम किया। चाहे वो कलकत्ता से कश्मीर की राष्ट्रीय एकता यात्रा हो जिसमे अलगाववादीयों और आतंकियों को आँख दिखाकर और गिरफ्तारियां देकर भी तिरंगा सम्मानपूर्वक फहराया। 2012 में गुवाहाटी से तवांग तक शहीद श्रद्धांजलि यात्रा भारत चीन 1962 के युद्ध के पचास साल पूर्ण होने के उपलक्ष में कर शहीदों को याद किया। कांग्रेस के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर अभूतपूर्व संसद घेराव आन्दोलन किया जिसमें लाठियां खायी, पानी की बौछारे सही लेकिन कांग्रेस को उखाड़ फेकने का संकल्प लिया और 2014 में युवाओं का समर्थन नरेन्द्र मोदी जी के पक्ष में कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम के माध्यम से जुटाया।

2014 में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पंचक्रांति योजना के माध्यम से सरकार के कार्यो की जानकारी घर घर तक पंहुचायी और हाल ही में डिजिटल पैसा अभियान की शुरुआत कर, प्रधानमंत्री जी के लेस कैश सोसाइटी के संकल्प को आगे बढाया। अनुराग ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि, पूनम महाजन इस अभियान को आगे बढ़ाएगी।

पूनम महाजन ने कहा कि, उन्हें अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में 2010 में युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम करने मिला और आगे भी वे अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में जो युवा मोर्चा ने सफल काम किया है उसको वो आगे बढ़ाएगी।

शाहपुर कालेज में डीजे पर NSUI का जश्न

शिमला/शैल। राजकीय महाविद्यालय शाहपुर के छात्रों ने जम कर जश्न मनाया। जश्न मनाए जाने के

पीछे वजह भी खास थी। यहां पर पढ़ने वाले छात्र परीक्षा के बोझ से 2 दिसंबर को फ्री हुए थे और साथ में नए साल का स्वागत एडवांस में करना था। यही नही, महाविद्यालय में इस सत्र का ये आखिरी दिन था क्योंकि शिक्षक आज से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के कार्य में जुट गए हैं।

इस जश्न का आयोजन कैंपस में NSUI की इकाई ने करवाया था। राजनीतिक पौध तैयार करने के लिए बड़े राजनीतिक धड़ों ने शिक्षण संस्थाओं में युवा ब्रिगेड को तैयार करने के लिए ऐसी इकाइयों का गठन किया हुआ है। इनका मकसद अपने आकाओं को खुश करना और राजनीतिक हितों को साधना है चाहे इसके लिए डीजे का ही सहारा क्यों न लेना पड़े। ये किसी एक दल की कहानी नहीं है सभी का यही हाल है। इसमें छात्रों का भविष्य कितना छिपा है इसका अंदाजा सभी को है।

छात्रों की इस डीजे पार्टी में खूब नाच गाना हुआ। यही नही जश्न अधूरा न रहे इसके लिए भी छात्रों ने खास इंतजाम भी किया हुआ था। लड़कों ने जाम तो छलकाए ही, साथ में खूब ठुमके लगाए और हूटिंग भी की। लेकिन इसकी ख़बर न तो पुलिस को लगी और न ही कॉलेज प्रशासन को। कॉलेज के प्राचार्य कुलदीप कुमार बंटा ने कहा कि उन्होंने छात्रों पर नज़र रखने के लिए चौकीदार को लगया हुआ था और उन्हें छात्रों के द्वारा जाम छलकाने की कोई ख़बर नही मिली। इस जश्न के लिए NSUI की इकाई ने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति ली हुई थी। इस न्यू इयर पार्टी में NSUI के प्रदेश सचिव सोनू भारद्वाज, जिला महासचिव सुनील जरियाल, और कैंपस अध्यक्ष सुनील कुमार उपस्थित थे।

कांगड़ा में बसों की छतों पर सफर

शिमला/शैल। द्रमण से सिंहुता और चंबा की ओर जाने वाली निजी बसें सवारियों की जान को जोखिम में डाल रही हैं। इस रूट पर चलने वाली निजी बसें ज्यादा से ज्यादा सवारियों को ढोने के चक्कर में उन्हें बस की छत पर सफर करवा रहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ बसें भटियात विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम सिंह जरियाल और क्षेत्र के अन्य रसूखदारों की भी हैं। इनके दबदबे के कारण प्रशासनिक अमला भी इनके खिलाफ कोई कारवाई नही कर पाता है।

गौरतलब हो कि कांगड़ा परिवहन मंत्री जी एस बाली का अपना जिला हैं। बसों में एक सीमा से ज्यादा यात्रियों को नही बिठाया जा सकता। इस बावत प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश भी हैं। लेकिन मंत्री बाली के अपने जिले में इन आदेशों को उलटा टांग दिया गया हैं।

द्रमण स्थित चौक पर दुकानदारों का कहना है कि यहां से चंबा और सिंहुता की ओर जाने वाली लगभग सभी बसों की स्थिति ऐसी ही रहती है। ज्यादा से ज्यादा सवारियों को बसों में ठूंसने की कंडक्टरों में होड़ सी मची होती है और कभी कभी इनमें बस के चलने के टाइम को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट तक की नौबत आ जाती है।

कृष्ण सिंह निवासी सिंहुता का कहना है कि बसों की कमी के चलते उन्हें इस तरह से खतरनाक सफर करने को मजबूर होना पड़ता है। इस रूट पर गिनी चुनी सरकारी बसें चलती हैं और वह कई बार तो ये बसें सवारियों को चढ़ाने के लिए भी बस ठहरावों पर नही रुकती हैं। उन्होंने कहा कि इससे ऐसा लगता है कि सरकारी बस और निजी बस स्टाप के बीच अच्छा दोस्ताना है। नतीजतन लोगों को निजी बसों की छतों पर जोखिम उठा कर सफर करना पड़ता हैं।

जब आर.टी.ओ. कांगड़ा संजय कुमार धीमान से जब इस बारे में दूरभाष पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वह आजकल छुट्टी पर हैं। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि अगर किसी विधायक की बस नियमों का उल्लंघन करेगी तो क्या विभाग मूकदर्शक बना रहेगा, उन्होंने कहा कि कानून सबसे लिए एक है और नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जब इस बावत शाहपुर थाना प्रभारी प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने कभी इस प्रकार की घटना सामने नही आई है और अगर कोई कानून को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

विभाग व पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही हैं ये तस्वीरें खुद ही बयां कर रही हैं।

टांडा में आंखों के आपरेशन के बाद चली गई रोशनी, तीन सदस्य समिति करेगी जांच

शिमला/शैल। टांडा मेडिकल कालेज में आंखं के आपरेशनों के बाद विजन चले जाने के मामले में सरकार ने तीन सदस्य समिति से जांच कराने का एलान किया है। जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने तपोवन में सदन में जानकारी दी। उन्होंने कहा इसके लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज के आइ विभाग के प्रमुख व बाकी दो प्रोफेसरों को जांच का जिम्मा सौंपा गया हैं। जांच जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नही जाएगा।

टांडा अस्पताल में 12 तारीख को संजीवन लाल, ख्याति लाल, त्रिलोक, इशा कुमारी व गीता के आपरेशन किए गए थे। आपरेशन के पहले आंखों को साफ करने के लिए ट्राइपीन नामक दवा आंखें में डाली गई। इसके बाद आपरेशन किए गए जिनमें से चार रोगियों को घर भेज दिया। जबकि एक रोगी अस्पताल में रहा। इन रोगियों की आंखों में संक्रमण हो गया। जिसकी वहज से दो मरीजों को पीजीआई भेज दिया गया व बाकियों को मारंटा के रोटरी अस्पताल में भेजा गया है। अभी ये कंफर्म नही हुआ है कि इनका सबका विजन चला गया है या नही। रोशनी जा भी सकती है और नही भी।

सरकार ने इसे गंभीरता से लिया हैं और मार्किट से जो दवा इनकी आंखें में डाली गई उसे वापस मंगा लिया गया हैं। चूंकि ये दवा निजी केमिस्ट से ली गई थी अगर दवा निर्माणकर्ता के यहां से संक्रमित पाई गई तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी।

भाजपा के वॉकआउट के साथ खत्म हुआ शीतकालीन सत्र

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का धर्मशाला के तपोवन में पांच दिनों तक चले शीतकालीन सत्र का भाजपा सदस्यों के वॉकआउट, पांच बिलों के पास होने के साथ सत्रावसान हो गया है। सदन में कई बार दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। भाजपा के निलंबित विधायकों को कोई राहत नही मिली व उनका निलंबन वापस नही किया गया। उन्हें आज भी विधानसभा परिसर में घुसने नही दिया गया।

भाजपा के तीन सदस्यों सुरेश भारद्वाज, राजीव बिंदल और रण्धीर शर्मा को सदन के गेट पर रोक दिया। स्पीकर बृज बिहारी बुटले ने विपक्षी सदस्यों के इस आग्रह को कि उन्हे कम से कम कैंपस में तो आने दिया जाए, को यह कह कर कि नियमों के मुताबिक हाउस की परिधि विधानसभा के गेट तक हैं। इसलिए उन्होंने खुद ये आदेश दिए हैं कि निलंबित विधायकों को गेट से अंदर न आने दी जाए। स्पीकर बुटेल ने भाजपा सदस्यों को ये कहकर निरुत्तर करने की कोशिश की कि ये नियम आपने ही बनाए हैं।

इस बीच मंत्री कौल सिंह ने कहा कि अगर हाउस की परिभाषा बदलनी है तो इसके लिए नियमों में संशोधन करना पड़ेगा अभी हाउस की परिभाषा में गेट के भीतर का पूरा परिसर शामिल हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने स्पीकर पर नियमों को बदलने का आरोप लगाया और एक सांसद का हवाला देते हुए कहा कि लोकसभा से निलंबित करने के बावजूद भी वो संसद के सेंट्रल हाल से प्रेस कांफ्रेंस करता था। इस पर बाद में कौल सिंह ठाकुर जो कानून मंत्री भी हैं, ने स्पष्ट किया प्रतिपक्ष के नेता धूमल सही कह रहे है लेकिन लोकसभा के नियम इसकी इजाजत देते हैं। जबकि यहां 'हाउस' की परिभाषा बाहर गेट तक हैं।

इस पर धूमल ने स्पीकर से कहा कि आप निलंबित विधायकों को कैंपस में आने की इजाजत देते है या नहीं। इसके जवाब में स्पीकर ने स्पष्ट किया कि जहां तक निलंबित सदस्यों का प्रश्न हैं वो नियमों के मुताबिक उन्हें कैंपस में आने की इजाजत नही देंगे और उनके निलंबन का ये प्रस्ताव सदन ने पारित किया हैं। उन्होंने कहा कि मेरा काम तो कार्यवाही कंडक्ट करना हैं व मैं नियमों के मुताबिक ही चलाउंगा।

धूमल ने कहा कि अगर स्पीकर भाजपा के निलंबित विधायकों का सम्मान नही करते हैं तो वो सदन की कार्यवाही में शामिल नही हो सकते। धूमल ने कहा कि ये तानाशाही का विरोध करेंगे और ये उन्हें आपातकाल की याद दिलाता हैं। इसके बाद धूमल समेत पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया।

इससे पूर्व प्रश्नकाल में भाजपा विधायक रविंद्र सिंह रवि की ओर वन विभाग के विश्राम घरों को बुक करने के मसले वन मंत्री और भाजपा सदस्य सतपाल सती के बीच जमकर नोकझोक देखने को मिली इसके अलावा वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी भाजपा विधायक रविंद्र सिंह रवि से भी भिड़े। थोड़ी देर के लिए सदन का माहौल गर्मा गया । रविंद्र रवि ने कुक्कर के ढक्कन की खरीद में किसी घपले की ओर भी इशारा किया।

रवि का कहना था कि वो विधानसभा की पीएसी कमेटी के अध्यक्ष हैं व उनकों हिमाचल या वन विभाग के विश्राम गृहों में कमरें बुक कराने हो तो कई कई बार अफसरों को बोलना पड़ता हैं। उन्होने पूरक प्रश्न पूछा था कि कमरों को बुक करने की क्या प्रक्रिया हैं और पिछले चार सालों में इनकी आक्यूपेंसी कितनी रही हैं। इस पर वन मंत्री भरमौरी ने कहा कि कमर्शियल विश्राम गृह नही हैं और यहां पर गरीब व अमीर सभी को पहले आओ-पहले पाओ की नीति के आधार पर कमरे बुक किए जाते हैं।

वन मंत्री ने सदन में चौपाल में 13 मकानों व सात गउ शालाओं और स्टोरों के आग लगने से तबाह होने पर कहा कि सरकार ने प्रभावित परिवारों को मकान बनाने के लिए लकड़ी मुहैया कराएगी व इन्हें खाद्यन भी मुहैया कराया गया हैं। विभाग ने मामले में एफआईआर भी दर्ज कर दी हैं।

प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य महेंद्र सिंह ठाकुर ने कामगारों को बांटी जाने वाली वाशिंग मशीनों, इंडक्शन चूल्हों व सोलर लैंप व साइकिलों के वितरण में विसंगतियां होने का सवाल उठाया व कहा कि इसमें किसी बड़े घपले का संकेत मिल रहा हैं। उन्होंने कहा कि आइटमें देने के बजाया नकदी क्यों नहीं दी जाती।

इस पर उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मनरेगा में पचास व निर्माण कार्यों में 90 दिनों तक काम पूरा कर लेते है उन्हें ये आइटमें दी जाती हैं। पहले नकदी भी दी गई लेकिन ये पाया गया कि लोगों ने पैसे तो ले लिए लेकिन आइटमें नहीं खरीदी। जबकि सरकार की मंशा है कि इन लोगों के घरों में ये आइटमें मुहैया हो ताकि जीवन स्तर बढ़े। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने कांट्रेक्ट रेट कर रखा है व सभी आइटमों की कीमत बाजार भाव से कम हैं। कामगारों व नरेगा मजदूरों को एलजी की वाशिंग मशीनें आर्वटित की जा रही हैं। उन्होंने सभी विधायकों का आहवान किया कि वो अपने अपने विधनसभा क्षेत्रों में कामगारों व मनरेगा मजदूरों को जागरूक करे। महेंद्र सिंह की इस मंशा को कि किसी को मशीन मिल रही हैं तो किसी को इंडक्शन चूल्हें, जो कि एक विसंगति हैं सभी को एक सी आइटमें मिलनी चाहिए थी। मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि सभी को ये आइटमें बारी बारी से मिलती हैं। लेने वालों को दावा करना होता हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कामगारों के चयन में धांधली होने के भी अदेशा जाहिर किया व कहा कि जो कामगार कहीं फैक्टरी में काम कर रहें हैं उन्हें सीटू की यूनियनें निर्माण कार्य में लगे होने के सर्टिफिकेट देकर इन आइटमों को हासिल कर रहे हैं । उन्होंने अग्निहोत्री से इन सर्टिफिकेटों की जांच कराने की मांग की। इस मुकेश अग्निहोत्री ने कोई सीधा जवाब तो नही दिया पर कहा कि जो काम सीटू वाले कर सकते हैं वो मै व आप नहीं कर सकते।

प्रश्नकाल के दौरान ही भाजपा विधायक जयराम ठाकुर ने पहले हो चुके शिलान्यास व भूमिपूजन को दोबारा से करने का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि उन्हीं के हलके में बालीचौकी में मिल्कफेड के अध्यक्ष ने उस स्कूल का शिलान्यास कर दिया जिसका 27 मई 2012 में वो खुद उदघाटन कर आए थे। इस बावत जब वहां के लोगों ने उदघाटन की पट्टिका तोड़ दी तो उनके खिलाफ एफआईआर कर दी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पर पहले से शिलान्यास हुए हैं वहां दोबारा नही होना चाहिए।

प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद सदन में पांच विधेयकों को पारित किया गया । जिनमें हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर ऑफ लैंड रेगुलेशन बिल, हिमाचल प्रदेश नगर निगम दितीय संशोधन बिल, जातीय क्षेत्रों के लोगों को कर्ज लेने के लिए अपनी भूमि को मॉर्टगेज करने हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, हिमाचल प्रदेश वैट संशोधन बिल व हिमाचल प्रदेश प्रेवश माल कर संशोधन बिल शामिल हैं।

सदन के समापन से पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सत्र के दौरान कई खटटे मिटठे क्षण देखने को मिले लेकिन जिस मकसद से ये सत्र बुलाया गया था काफी हद तक वो मकसद पूरा हुआ हैं। विपक्ष पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन की कार्यवाही को जिस प्रकार से व्यवधान डाला गया हैं उससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सदस्य स्पीकर की कुर्सी पर बैठ गया ये बेहूदगी की पराकाष्ठा थी। उन्होंने इसके लिए भाजपा सदस्यों को निलंबित करने फैसले को सही बताया व कहा कि स्पीकर ने सदन की गरिमा की रक्षा की हैं और ये तो जो सबसे न्यूनतम सजा थी वो दी है। मुख्यमत्री ने इस मौके पर प्रदेश वासियों को नए साल की शुभ कामनाएं दी।

इसके बाद स्पीकर बृज बिहारी बु टेल ने कहा कि पांच दिनों तक चले इस सत्र में पहली बार सदन में सभी प्रश्नों के जवाब ऑनलाइन दिए गए और एक भी प्रश्न की हार्डकॉपी मुहैया नही कराई गई। उन्होंने कहा कि सदन में 248 तारांकित व 120 अतारांकित प्रश्नों के जवाब उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा पांच विधेयक पारित किए गए। उन्होंने कहा कि नियम 101 के तहत दो गैर सरकारी संकल्पों को पेश किया गया जिसमें से नोटबंदी पर लाए गए संकल्प पर चर्चा की गई जबकि दूसरे संकल्प को आगामी सत्र के लिए स्थगित कर दिया गया। उन्होने कहा कि नियम 130 के तहत एक प्रस्ताव, नियम 62 के तहत दो और नियम 324 के तहत तीन प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सदन में समितियों के 24 प्रतिवेदनों को पेश किया गया। इसके बाद स्पीकर बी बी बुटेल ने सभी प्रदेश वासियों को नए साल की शुभकामनाएं देने के साथ ही पांच दिवसीय विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया।

अबूंजा सीमेन्ट प्लांट हादसे प्रबन्धन से लेकर सरकार तक सभी सवालों के घेरे में

शिमला/जे पी भारद्वाज

अबूंजा सीमेन्ट ने पिछले दिनों कुछ कामगारों को यह कहकर काम से निकाल दिया है कि उनके पास अब काम नही हैं इन कामगारों को निकालने के लिये अपनाई गयी प्रक्रिया में इनके निश्कासन के नोटिस गेट पर चिपका दिये गये थे। उस समय इन कामगारों के निष्कासन पर प्रदेश के श्रम विभाग ने अपने दखल से यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि सीमेन्ट उद्योग केन्द्र के कन्ट्रोल में है इसलिये इसकी समस्याओं के लिये केन्द्र का श्रम विभाग ही जिम्मेदार है। अब इसी सीमेन्ट प्लांट में एक मजदूर पर गर्म लावा गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गयी और तीन गंभीर रूप से घायल हो गये जिन्हें आईजीएमसी लाया गया। इनमें से एक को तो पीजीआई चण्डीगढ़ रैफर कर दिया गया है। इस हादसे ने कंपनी के प्लांट के अन्दर के सुरक्षा प्रबन्धों पर गंभीर सवाल खडे कर दिये हैं। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाने पर प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। जबकि केन्द्र और प्रदेश के श्रम विभाग और उद्योग विभाग की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वह मौके पर आते। यहां तक कि डी सी और एसपी तक मौके पर नहीं आये। पूरा मामला स्थानीय पुलिस और एसडीएम तथा तहसीलदार पर ही छोड़ दिया गया।

इस हादसे में हुई कामगार की मौत के बाद जब कामगार उसकी डेडबांडी लेने गये तो उन्हे वहां जाने से पहले बाघल होटल में कपंनी प्रबन्धन से पहले मिलने के लिये कहा गया। कंपनी पिछले दिनों करीब 80 मजदूरों को काम से निकाल चुकी है और वह सब विरोध कर रहे हैं। यह हादसा उनकी चिन्ताओं का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन इस हादसे को निपटाने के लिये एक जांच कमेटी बना दी गयी। इस कमेटी में मजदूर यूनियन सीटू के अध्यक्ष लच्छी राम, उपप्रधान मुकेश कोषाध्यक्ष देव राज तथा बीएमएस के महासचिव मस्तराम को शामिल किया है। इस जांच के लिये कंपनी के विशेषज्ञ मुबंई से आयेंगे लच्छी राम और देवराज को कंपनी ने निकाला हुआ है। स्थानीय पुलिस ने धारा 336 और 304 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस हादसे में सबसे बड़ा तथ्य यह सामने आया है कि लेबर विभाग का सेफ्टी अफसर कभी भी यहां निरीक्षण के लिये नहीं आया है। जबकि इस अधिकारी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह समय-समय पर जाकर सुरक्षा प्रबन्धों का जायजा लेता है और वाकायदा अपनी रिपोर्ट तैयार करता है अब इस अधिकारी के न आने की जिम्मेदारी केन्द्र के लेवर विभाग पर आती है या प्रदेश के इस बारें में किसके स्तर पर कोताही हुई है इसको लेकर अभी पुलिस खामोश है।

दूसरी ओर प्रशासन ने 30 साल के मृतक अजय कुमार के मामले को 39 लाख का मुआवजा और कंपनी में ही लगे उसके भाई को पक्की नौकरी तथा मां को पैन्शन देने का समझौता करके 24 घन्टे के भीतर ही मामले को निपटा दिया है। ऐसे में इस प्रकरण में दर्ज मामले पर पुलिस कैसे आगे बढ़ेगी या प्रशासन की तरह वह भी शांत हो जायेगी। इस मामले की जांच कमेटी में जो निष्कासित मजदूर लच्छी राम और देव राज सदस्य बनाये गये हैं वह इसकी जांच को कैसे अन्तिम परिणाम तक ले जाते हैं या फिर उन्हें भी पुन: नौकरी मिल जाती है आज यह सारे सवाल चर्चा में हैं। लेकिन इस हादसे से इन बड़े उद्योगों के भीतर के प्रबन्धन और शीर्ष प्रशासन तथा राजनेताओं के साथ क्योंकि यह सब इस पर खामोश रहें है।

शांडिल और कर्ण सिंह को छोड़

.....पृष्ठ 1 का शेष

है तो निश्चित रूप से इसमें किसी को अनुचित लाभ भी पहुंचा है। भाजपा ने अपने इस आरोप पत्र को ''अली बाबा और चालीस चोर'' के कथ्य का दस्तावेज करार दिया है और यह दस्तावेज निश्चित रूप से इसकी पुष्टि करता है।

मुख्यमन्त्री के अपने ऊपर गंभीर आरोप है। उनके साथ आय से अधिक संपत्ति और मनीलॉडरिंग में सह अभियुक्त बने आढ़ती चुन्नी लाल को मार्किटिंग बोर्ड का निदेशक बनाने और फिर कांगड़ा सैन्ट्रल को- आपरेटिव बैक की जरी शाखा से 1.30 करोड़ का कर्ज नियमों के विरूद्ध दिलाने तथा कर्ज का अब तक न लौटाया जाना एक गंभीर आरोप है। फिर जिस कंपनी को हालीलॉज किराये पर दिया उसी कंपनी को मायार घाटी में हाइड्रो प्रौजैक्ट लगाने के लिये 25.69 करोड़ रूपये लिये बिना पर्यावरण क्लीयरेंस दे दी। ब्रेकल कारपोरेशन को 1800 करोड़ का जुर्माना लगाने के उसका 200 करोड़ का अपफ्रन्ट प्रिमियम जब्त किया गया था लेकिन अब यह फैसला पलटकर उसका 280 करोड़ वापिस करने का फैसला सीधा भ्रष्टाचार है। सोरंग हाईडल प्रोजैक्ट बनाने वाली कंपनी ने इसे एक विदेशी कपंनी को बचने का फैसला लिया और इसकी स्वीकृति के लिये सरकार को आवेदन कर दिया। सरकार ने 20 करोड़ की अपफ्रन्ट मनी लिये बिना ही यह स्वीकृति प्रदान कर दी। मुख्यमन्त्री के सुरक्षा अधिकारी पदम ठाकुर की बेटियों और बेटे को जिस ढंग से नौकरी दी गयी है उस पर विवाद उठना स्वाभाविक है।

इसी तरह मुख्यमंत्री के पास जितने विभाग है उनमें हरेक विभाग को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। लोक निर्माण विभाग में टैण्डर सड़कों का रख- रखाव, भवन निर्माण, चड्डा एण्ड चड्डा कंपनी को अनुचित लाभ देना तथा बर्फ हटाने के नाम पर भी घपला होने के आरोप हैं। शिक्षा विभाग में सीरामिक्स बोर्ड खरीद में घपला/ पुलिस भर्तीयों में घपला तथा पर्यटन विभाग की एशियन विकास बैंक की सहायता से चल रही सौंदर्यकरण योजना में घपले के गंभीर आरोप हैं। भाषा एवम संस्कृति विभाग के तहत आने वाले मन्दिरों भीमाकाली, जालपा माता मन्दिर और ज्वालामुखी मन्दिरों में प्रबन्धन पर आरोप पत्र में संगीन आरोप लगाये गये हैं। इन सारे विभागों के खिलाफ लगे आरोपों के प्रमाण आरोप पत्र के साथ सौंपे गये है। इन आरोपों को अभी सरकार ने सिर से खारिज कर दिया है। लेकिन जब इन आरोपों का पूरा ब्योरा जनता के सामने आयेगा तो फिर जनता सरकार के न कहने से ही सन्तुष्ट नही होगी यह तय है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

प्रदेश के तीनों विश्वविद्यालयों पर भाजपा के आरोप पत्र में गंभीर आरोप क्या राज्यपाल जांच के आदेश देंगे?

शिमला/ बलदेव शर्मा

प्रदेश भाजपा ने राज्यपाल को वीरभद्र सरकार के खिलाफ आरोप पत्र सौंपा है। इस आरोप मुख्यमन्त्री से लेकर मन्त्रीयों, संसदीय सचिवो और विभिन्न निगमों-बार्डो के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों और कुछ विधायकों तक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाये गये है। इन आरोपों की जांच के लिये राज्यपाल इस आरोप पत्र को सरकार को भेजेंगे और सरकार पर निर्भर करेगा कि वह कैसे इन आरोपों पर आगे बढ़ती है। लेकिन इस आरोप पत्र में प्रदेश के तीनों विश्वविद्यालयों के खिलाफ भी गंभीर वित्तिय और शैक्षणिक अनियमितताओं के आरोप लगे है। विश्वविद्यालयों के संद्धर्भ में सरकार के विभागों से स्थिति भिन्न है। इनके लिये राज्यपाल ही सर्वेसर्वा हैं। वह विश्वविद्यालयों को लेकर अपने स्तर पर जांच आदेशित कर सकते हैं बल्कि जांच अधिकारी भी अपनी पसन्द से नियुक्त कर सकते हैं। इसमें राज्य सरकार कोई हस्ताक्षेप नही कर सकती है। ऐसे विश्वविद्यालयों के खिलाफ लगे आरोपों की प्रमाणिकता और भ्रष्टाचार के प्रति भाजपा की गंभीरता भी राज्यपाल के आदेश से प्रमाणित हो जायेगी।

यह है कुछ आरोप

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नियमो की अनदेखी कर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निर्धारित (NET/SLET/SET) की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं (प्रतिलिपी संलग्न-1) का हटा कर तथा माननीय सर्वोच्च न्यायाल के आदेशों (प्रतिलिपी संलग्न-2-5) को छुपा कर एक बहुत बड़ी साजिश के तहत विश्वविद्यालय के हिमालयन एकीकृत अध्ययन संस्थान (IIHS) में चहेतों को जो किसी परियोजना में निर्धारित पारिश्रमिक (Emoluments) पर काम कर रहे थे, को वित अधिकारी यानि एक व्यक्ति की कमेटी की सिफारिशों से सीधे पे-बैंड 15600-39100 में बिना विश्वविद्यालय के अध्यादेश व एक्ट में निर्धारित चयन प्रक्रिया से नियमित कर दिया गया और साथ में नियमितिकरन की तारीख से दो-दो पदोन्नतियां (ए0जी0पी0 7000 व 8000) भी दी गई (प्रतिलिपी संलग्न-4) वित्त संबधित मामलो को कुलपति द्वारा 12 (सी) 7 में करना अपने आप ही न्यायसंगत नहीं है और साथ ही टाईम स्केल व एफ0आर0एस0आर0 नियमों के विरूद्ध है और करदाताओं के पैसों का सरेआम दुरूपयोग है। लगता है इस प्रदेष में व इस विश्वविद्यालय में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है।

✔ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डा0 राजिन्द्र सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षक बनने के भी लायक नहीं थे, क्योंकि उनके बी0ए0 में मात्र 42.9 प्रतिशत और एम0ए0 में 50.7 प्रतिशत अंक थे, लेकिन कांग्रेस ने नियमों को ताक पर रखकर उसे पहले आचार्य भी बनाया और सेवानिवृति के बाद विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति भी नियुक्त किया, जो एक बहुत बड़ा शैक्षणिक फॉड है। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और करदाताओं के पैसों का सरेआम दुरूपयोग है।

✔ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अगली घटना भी वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई हैं जहां गैर शिक्षक कर्मचारियों, श्री बरयाम सिंह बैंस वव श्री नित्यानंद को सेवानिवृति से पहले फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें अल्प समय में नियमों में ढील दे कर तीन-तीन प्रमोशन दी गई। जबकि एस0ओ0 से सहायक कुलसचिव के लिए तीन वर्ष व सहायक कुलसचिव से उप कुलसचिव के लिए दो वर्षो का अंतराल होना आवश्यक था लेकिन एक विचारधारा विशेष के व्यक्तियों को लाखों रूपयों का फायदा देने के लिए भारत सरकार के वित्त व सर्विस नियमों के खिलाफ कुलपति ने विश्वविद्यालय को लाखों रूपयों का घाटा करवाया और करदाताओं के पैसों का दुरूपयोग किया।

✔ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की मेहरबानी कुछ और काग्रेसी नेताओं पर ऐसी हुई कि उन्हें ड्राट्समैन से सीधे एस0डी0ओ0 ही बना दिया। घटना विश्वविद्यालय के शिल्पकार शाखा की है जहां नियमों के विरूद्ध श्री नगिन्दर गुप्ता व श्री रतन गुप्ता को ड्राट्समैन से सीधे एस0डी0ओ0 ही बना दिया तथा इसके साथ कुछ और लोगों को भी अनुचित लाभ पहुंचाये गये और इस तरह व्यक्ति विशेषों को फायदा पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय को लाखों का नुकसान कर दिया। सनद रहे कि इस प्रपोजल को वित्त समिति ने इनकार किया था। बावजूद इसके इन्होनें मिल मिला कर इसे कार्यकारिणी परिषद से करवा दिया।

✔ प्रदेश विश्वविद्यालय ने विभिन्न विभागों में साक्षात्कार प्रकिया 2012 में शुरू की लेकिन उन सिफारिशों को 2016 में पूरा किया गया, क्योंकि सरकार बदलने के साथ कांग्रेसियों ने कहा कि अपात्र लोगों को नियुक्ति दी जा रही है और इस संदर्भ में उस वक्त के कुलसचिव डा0 मोहन लाल झारटा ने उच्च न्यायालय में तीन-तीन झूठे हल्फनामे दायर किय गए जिससे विश्वविद्यालय को वकीलों व कोर्ट को लाखों रूपये देने पड़े लेकिन जब कांग्रेसियों ने अपने लोगों को लगाना था जो हालांकि अपात्र थे, तो 2012 व 2016 के सभी साक्षात्कार की सिफारिशों को लागू कर दिया। अगर 2012 की सिफारिशें गलत थी तो वह 2016 में कैसे ठीक हो गई और अगर ठीक थी तो उन्हें 4 वर्षो तक क्यों रोका गया और लाखों रूपये वकीलों व कोर्ट को क्यों दिए गए? और कैसे बाद में गलत भी ठीक हो गए या अपने अपात्र लोगों को लगाने के लिए यह षडयंत्र रचा गया था, यह गहन जांच का विषय है।

✔ प्रदेश विश्वविद्यालय ने नियमों की परवाह न करते हुए कांग्रेस विचारधाराओं के शिक्षक श्री एन एस बिस्ट जो शैक्षणिक योग्यताएं पूरी नहीं रखते थे (Non PhD) को फायदा पहुंचाने के लिए निदेशक पी आर सी बनाया गया जो नियमों के विपरीत था।

✔ प्रदेश विश्वविद्यालय ने हर कदम पर वित्तीय अनिमितताओं को बढ़ावा दिया और कानून के विपरीत विशेष विचारधाराओं के लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया। एक और घटना में प्रदेश विश्वविद्यालय ने एक शारीरिक शिक्षा विभाग के कोच डा0 रमेश चौहान को पहले बिना साक्षात्कार के सह-आचार्य नामित किया और बाद में उसे आचार्य एवं निदेशक शारीरिक शिक्षा लगाया गया, जो नियमों के विरूद्ध था।

✔ प्रदेश विश्वविद्यालय ने विशेष विचारधारा के लोगों को फायदा पहुंचाते हुए टूरिज्म विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर सहायक आचार्य (Ms. Preeti) को वित्तीय नियमो के विरूद्ध तीस हजार प्रति माह का वेतन दिया जबकि बाकि विभागों में यू0जी0सी0 के नियमो के तहत व हिमाचल प्रदेष सरकार की संविदात्मक (Contractual) पॉलिसी के तहत 21600/- प्रतिमाह की दर से भुगतान किया गया।

✔ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य अरूण दिवाकर नाथ वाजपई ने कांग्रेस के डा0 यशवंत सिंह हारटा को शिक्षक लगाने के लिए जानबूझ कर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं से परे पांच वर्षो का अनुभव लगा दिया जिसका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) की शैक्षणिक में कोई जिक्र भी नहीं है।

✔ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने NAAC की टीम से ठीक पहले विभागों को सफेदी व पेंट करने को कहा गया और बाद में कांग्रेस नेता व ई0सी0 सदस्य श्री हरीश जनारथा के जान पहचान के व्यक्ति को डेढ़ करोड़ का ठेका दिया गया और मोदी रकम की हेराफेरी हुई।

✔ एक बहुत बड़ी साजिश के तहत विश्वविद्यालय का स्थाई कुलसचिव दो या चार दिन के लिए छुट्टी जाता था और IIHS व अन्य मामलों सम्बन्धित फाइलें विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, जो अस्थाई कुलसचिव नियुक्त किया जाता था, से करवाई जाती थी जबकि नियुक्तियों सम्बन्धी मामले अस्थाई कुलसचिव के अधिकार में नहीं आते, यह एक गहन जांच का विषय है।

✔ हिमाचल प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय को रूसा के तहत चार करोड़ रूपये दिए लेकिन कुलपति आचार्य अरूण दिवाकर नाथ वाजपेयी की टीम ने वह पैसा कहां खर्चा इसकी कोई जानकारी नहीं है और अगर वह पैसा नहीं खर्चा तो क्यों नहीं ?क्या यह वित्तीय अनियमितताये नहीं है?अत: रूसा के तहत आए 4 करोड़ रू0 की उच्च स्तरीय जांच की जाए।

✔ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य अरूण दिवाकर नाथ वाजपेयी वे प्रतिकुलपति डा0 राजिन्द्र सिंह चौहान तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कांग्रेसी कार्यकारिणी ने महामहिम राज्यपाल व कुलाधिपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय आचार्य देवव्रत जी की गरिमा को भी मिट्टी में मिला दिया जब इन्होनें जीव विज्ञान के आचार्य के मामले में चयन समिति के उपर विश्वविद्यालय की अपनी समिति बना दी। हालांकि विश्वविद्यालय के एक्ट व अध्यादेश में ऐसी किसी भी समिति का कोई प्रबधन नहीं है, क्योंकि चयन सिमति महामहिम राज्यपाल व कुलाधिपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा मंजूर व सत्यापित की गई होती है और उससे उपर कोई भी समिति गठित करना विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और इसका मकसद महामहिम राज्यपाल व कुलाधिपति की गरिमा को नीचा दिखाना था।

✔ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के मैथ विभाग के डा0 जोगिन्दर सिंह धीमान जिनको चयन समिति ने आचार्य पद के लिए अनुतीर्ण घोषित किया था और नियमों के अनुसार उनका अगला साक्षात्कार आगामी एक वर्ष तक नहीं हो सकता था और इसके साथ उनको ज्वाईनिंग की तारीख से ही प्रभावी माना जाता था लेकिन घोटालों के महाधिपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य अरूण दिवाकर नाथ वाजपेयी व प्रतिकुलपति डा0 राजिन्दर सिंह चौहान ने उस कांग्रेसी का 6 महीनों में ही साक्षात्कार करवा दिए और उनको (Retrospective) अतित्लक्षी वरिष्ठता व वित सम्बन्धी फायदे दे दिए गए जिससे लाखों रूपयों का नुकसान विश्वविद्यालय को हुआ। साथ ही व्यक्ति विशेष के लिए 6 महीनों में साक्षात्कार समिति गठित करने में लाखों का बोझ फिर से विश्वविद्यालय को उठाना पड़ा जो करदाताओं के पैसों का फिर से दुरूपयोग था। अगर इसमें तकनीकि कारणों का बहाना लगाया जाता है तो व्यक्ति विशेष की जेब से इसका खर्चा वहन होना चाहिए जिसके लिए स्वयं कुलपति व प्रतिकुलपति जिम्मेवार है।

✔ एक और घटना के तहत प्रदेश विश्वविद्यालय ने डा0 कमल मनोहर जिसकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं नहीं थी, को पहले राजनीति शास्त्र का आचार्य लगाया और बाद में उसे बिना निर्धारित चयन प्रक्रिया व साक्षात्कार के डा0 दीनदयाल उपाध्याय पीठ पर संयोजक नियुक्त किया गया जो नियमों के विरूद्ध था। इसी तरह प्रदेश विश्वविद्यालय ने कुछ कांग्रेसी मित्रों को बिना निर्धारित चयन प्रक्रिया व साक्षात्कार के ही सह आचार्य के वेतनमान व पदनाम से अलंकृत कर दिया जिससे विश्वविद्यालय को वित्तीय घाटा सहन करना पड़ा। यह एक गहन जांच का विषय है।

डा0 यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय

1. पूर्व कुलपति डा0 विजय सिंह ठाकुर जब विश्वविद्यालय के क्षेत्री अनुसंधान केन्द्र, मशोबरा में वरिष्ठ वैज्ञानिक/प्रमुख वैज्ञानिक के नातम कार्यरत थे, ने यूरोपियन संघ (European Union) द्वारा 2.10 करोड़ रू0 की एक अनुसंधान परियोजना का स्वतंत्र रूप से संचालन 2003 के बाद किया जिसके संदर्भ में कोई भी रिकॉर्ड विश्वविद्यालय प्रशासन को उपलब्ध नहीं करवा कर सरेआम विश्वविद्यालय के नियम/कानून तथा लोख नियमावली (Act/Statute and Accounts Manual) का उल्लंघन किया है। परियोजना के अंतर्गत मिले विदेश से धन को अपने बैंक खाते में जमा करवाया जोकि विश्वविद्यालय के Comptroller के सरकारी खाते में जाने चाहिए थे। विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी होने के नाते वह सरकार के सी0सी0एस0 नियम में आते हैं। इस तरह सरेआम इस परियोजना संचालन में सब नियमों को ठेंगा दिखा गया।

2. कुलपति लगने के लिए इन महानुभाव ने अपने विषय में गलत जानकारी उस समय में महामहिम राज्यपाल को देकर कुलपति का गरिमापूर्ण पद प्राप्त किया था जिसमें अपने आप को Post-Doc एवं 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव बताया था।

विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डा0 विजय सिंह ठाकुर द्वारा विश्वविद्यालय के एन0एस0यू0आई0 के तत्कालीन अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश को वैज्ञानिक अनाधिकृत रूप से लगाने के लिए ''वैज्ञानिकों की नियुक्ति के लिए प्रकाशित अधिसूचना'' में वैज्ञानिक पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जोकि प्रकाशन नं0 04/2015 दिनांक 17-10-2015 को थी, विश्वविद्यालय अधिसूचना नं0 UHF/Regr. Rectt. 2-04/2015/019929-20079 से दिनांक 21-11-2015 तक बढ़ा दिया ताकि NSUI President श्री प्रेम प्रकाश इसमें आवेदन के लिए पात्र बन जाए। तत्पश्चात इसी प्रत्याशी को नियुक्त करने के लिए इन्टरव्यू तथा Presentation में इसे 20 में से 19 नम्बर दिए गए। जबकि इसने पी0एच0डी0 की डिग्री पूरी नहीं की थी।दूसरा प्रत्याशी जो पी0एच0डी0 की डिग्री प्राप्त था, को 20 में से 7.5 अंक दिए गए जोकि मा0 उच्चतम न्यायालय की निर्देशना के विरूद्ध है जिसमें किसी भी प्रत्याशी की इंटरव्यू में 50 प्रतिशत से कम अंक नहीं दिए जा सकते। यह बहुत ही गंभीर विषय है जिसकी उच्च स्तरीय जांच हो।

चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय

चौधरी सरवन कुमार हि0प्र0कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के पूर्व कुलपति डा0 के0के0 कटोच ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए सी0डी0ए0 फंड से 6 लाख रूपये अवैध रूप से विदेश यात्रा के लिए खर्च किए। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 13 अगस्त, 2014 को जब सरकार से विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि मण्डल जिसमें स्वयं तत्कालीन कुलपति डा0 के0के0 कटोच, केवल सिंह पठानिया, जो एक कांग्रेसी नेता होने के साथ बोर्ड ऑफ मैनेजमैंट का सदस्य भी हैं और डा0एस0पी0 शर्मा, डायरेक्टर रिसर्च के विदेश दौरे (मंगोलिया) पर जाने की अनुमति मांगी। उस समय पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रदेश सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन को इस यात्रा का कोई भी वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, परन्तु सरकार से अनुमति पत्र प्राप्त होने के बाद तत्कालीन कुलपति ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अवैध तरीके से विश्वविद्यालय के सी0डी0ए0 फंड से 6 लाख रूपये इस विदेश यात्रा में जाने के लिए खर्चे गए। इस गबन से प्रतीत होता है कि यह 6 लाख रू0 एक कांग्रेसी नेता श्री केवल सिंह पठानिया, जो विश्वविद्यालय बोर्ड ऑफ मैनेजमैंट का सदस्य भी था, को खुश करने के लिए अवैध रूप से खर्च किए जिसका विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यो में कोई भूमिका नहीं थी। तत्कालीन कुलपति द्वारा खर्च किए गए इस पैसे की उच्च स्तरीय जांच की जाए।

फरवरी, 2016 में प्रदेश सरकार कृषि विश्वविद्यालय को 15 करोड़ रू0 की अनुदान राशि दी गई जोकि मंहगाई भत्तों की बकाया राशि, वेतन वृद्धि की बकाया राशि, चिकित्सा प्रतिपूर्ति की बकाया राशि और पदोन्नति की बकाया राशि का भुगतान इत्यादि के लिए स्वीकृत की गई थी, तत्कालीन कुलपति के0के0 कटोच ने अपनी पैंशन की कम्यूटेशन के लिए इस्तेमाल करने की मंशा से 31.12.2015 तक सेवानिवृत हुए सभी कर्मचारियों के पैंशन कम्यूटेशन के लिए उपरोक्त राशि का प्रयोग कर लिया जबकि इस उदेश्य के लिए इस राशि का आबंटन नहीं हुआ था। यह राशि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल की गई। प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत की गई 15 करोड़ रू0 की अनुदान राशि का अवैध रूप से किए गए दुरूपयोग की उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए।